इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025—भाद्र 28, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,
(2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2025

अधि. क्र. 06-1-250-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132-क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127-ख के साथ पठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (जल प्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार) नियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, :—

(1) खण्ड (चार) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु, यह और कि ऐसे नगरीय निकाय, जहाँ विगत 5 वर्षों या उससे अधिक से जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, वहाँ वे उपभोक्ता प्रभार की प्रचलित दरों में, किसी वित्तीय वर्ष में, अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में समर्थ होंगे.''

2. विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, शब्द ''यह भी कि'' के स्थान पर शब्द ''यह और भी कि'' स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2025

अधि. क्र. 06-एफ-1-250-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 06-एफ-1-250-2020-अठारह-3, दिनांक 16 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2025

Not. No. 06-F-1-250-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 132-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 127-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipality (User Charges for Water Supply, Sewerage and Solid Waste Management Services) Rules, 2020, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 3 :—

(1) In clause (iv), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that such urban bodies where there has been no increase in the rates of other consumer charges including water consumer charges for the last 5 years or more, shall be able to increase the prevailing rates of consumer charges by a maximum of 25 percent in any financial year."

(2) In the existing second proviso, for the word "further", the word "also" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEYA, Dy. Secy.

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025

सूचना

क्रमांक यूडीएच-3/0260/2025/18-5:- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, **2012** में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप जिसे राज्य सरकार, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, **1973** (क्रमांक **23**, सन् **1973**) की धारा **24** की उपधारा (**3**) सहपठित धारा **85** की उपधारा (**1**) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **15** दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त संशोधन के प्रारुप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमो में,

(1) **नियम 36 में, भू-उपयोग वर्गीकरण की तालिका में अनुक्रमांक (10) के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:-**

अनुक्रमांक	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
11	मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग	(एम)
12	पारगमन उन्मुख विकास	पारगमन उन्मुख विकास क्षेत्र	(टीओडी)

टीप:-

1. "मिश्रित उपयोग" का तात्पर्य है कि:-

(एक) आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक और सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियाँ,

(दो) वाणिज्यिक क्षेत्रों में आवासीय और सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियाँ,

(तीन) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियाँ की जा सकती हैं और,

(चार) विकास योजना के निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी।

2. **"पारगमन उन्मुख विकास क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे संबंधित विकास योजनाओं में मास रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम (एमआरटीएस) के नोड/कॉरिडोर के बफर के रूप में उल्लेख किया गया हैऔर इसमें उच्च घनत्व वाले आवासीय, मिश्रित उपोग और पैदल कार्य करने का वातावरण शामिल होगा।

इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, "पारगमन उन्मुख विकास क्षेत्र" में एफएआर उपयोग, निर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र योजनाओं/ क्षेत्रीय योजनाओं के विभेदक उप नियमों में उल्लेखित अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

(2) **नियम 37 में, उप-नियम (1), के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम प्रति:स्थापित किया जाए, अर्थात :-**

(1) "भूमि उपयोग वर्गीकरण में परिसर का अनुज्ञात उपयोग" - इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित उद्योगों को आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाता है -

(i) परिशिष्ट-च में सूचीबद्ध उद्योगों का वर्गीकरण *रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट* और *ब्लू* श्रेणियों में, अथवा समय-समय पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित अनुसार किया जाएगा।

(ii) आवासीय उपयोग परिक्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित *रेड, ऑरेंज* और *ग्रीन* श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित *रेड* और *ऑरेंज* श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) **नियम 42 में, उप-नियम (2), की सारणी-5, के कॉलम क्रमांक 6 का लोप किया जाए।**

(4) **नियम 48 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम प्रति:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

(3) औद्योगिक भूखण्डों के लिए विकास के मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

औद्योगिक भूखण्डों के लिए विकास के मानदण्ड

अनु क्रमांक-	न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र	न्यूनतम खुला स्थान एम.ओ.एस. (मीटर में)			अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)
		आगे	अगल / बगल	पिछला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0.045 हैक्टर तक	3.20	2.10/2.10	2.10	1.50

2	0.045 हैक्टर से अधिक और 0.10 हैक्टर तक	4.50	3.00/3.00	3.00	1.50
3	0.10 हैक्टर से अधिक और 0.20 हैक्टर तक	7.50	3.75/3.75	4.50	1.25
4	0.20 हैक्टर से अधिक और 0.50 हैक्टर तक	9.00	4.50/4.50	4.50	1.25
5	0.50 हैक्टर से अधिक और 0.75 हैक्टर तक	12.0	6.00/6.00	6.00	1.25
6	0.75 हैक्टर से अधिक और 1.00 हैक्टर तक	15.0	7.50/7.50	7.50	1.25
7	1.00 हैक्टर से अधिक और 1.25 हैक्टर तक	18.0	9.00/9.00	9.00	1.25
8	1.25 हैक्टर से अधिक और 2.00 हैक्टर तक	21.0	10.50/10.50	10.50	1.25
9	2.00 हैक्टर से अधिक	24.0	12.00/12.00	12.00	1.25
फ्लैटेड - उद्योगों के लिए					
10	न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर (0.15 हैक्टर)	12	7.50/7.50	7.50	2.00

टिप्पणी:-

(1) कॉलम क्रमांक **(3)**, **(4)** और **(5)** में वर्णित एम.ओ.एस. न्यूनतम है। औद्योगिक भवन के एक से अधिक तल होने की दशा में, सामने का एम.ओ.एस. भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के आधे के बराबर होगा, इसी प्रकार बाजू के एम.ओ.एस. भवन की प्रस्तावित ऊंचाई के एक तिहाई के बराबर होंगे।

(2) राज्य सरकार, मामले के गुण-दोषों पर विचार करने के पश्चात् उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त मानदण्डों में छूट दे सकेगी।

(3) खतरनाक उद्योग/प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग/ऐसे उद्योगों को जिनके लिए कारखाना अधिनियम के अधीन अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है, यथास्थिति औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधीन और/या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

(5) **नियम 53 में, उप-नियम (1) के खंड (दो) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिःस्थापित किया जाए अर्थातः-**

"(दो) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अल्प आय समूह और किफायती आवास के लिए भूखण्ड के आकार के मानदण्ड परिशिष्ट-ञ में उपबंधित किए गए अनुसार होंगे।"

(6) **परिशिष्ट झ-1** (नियम 84(1)) **में, खण्ड झ-3 के उपखण्ड (क) की सारणी के अनुक्रमांक 7 के कॉलम (3) में @75 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के स्थान पर @100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र प्रतिःस्थापित किया जाए।**

(7) **परिशिष्ट-** ञ (नियम 99) **में, खण्ड** ञ **2 (2) की सारणी के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिःस्थापित किया जाएं, अर्थातः**

"किफायती आवास सहित अल्प आय निर्माण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अल्प आय समूह) का अनुशंसित घनत्व ।"

(8) **परिशिष्ट-च (नियम 37(1)) के स्थान पर निम्नानुसार परिशिष्ट प्रतिःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-**

परिशिष्ट-च

[नियम 37(1) देखिए]

उद्योगों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :-

लाल श्रेणी

एस.एन.	उद्योग/गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/उत्पाद
1.	ऑटोमोबाइल विनिर्माण (एकीकृत सुविधाएं)
2.	एस्बेस्टस और एस्बेस्टस आधारित उद्योग
3.	ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हुए एएसी ईंटों/ब्लॉकों का निर्माण (12 टीपीडी और अधिक)
4.	गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों का विनिर्माण (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 100 KLD)
5.	लेड-एसिड बैटरी निर्माण (सूक्ष्म पैमाने पर लेड एसिड बैटरी की असेंबलिंग और चार्जिंग को छोड़कर)
6.	कार्बन ब्लैक निर्माण

7.	औद्योगिक कार्बन जिसमें इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट ब्लॉक और कैल्सीनेटेड पेट कोक शामिल हैं
8.	मूल अकार्बनिक रसायन और विद्युत रसायन तथा इसके व्युत्पन्न, जिनमें अम्ल का विनिर्माण भी शामिल है
9.	फॉस्फोरस और इसके यौगिक, फॉस्फोरस रॉक प्रसंस्करण सहित
10.	क्लोरेट्स, पर-क्लोरेट्स और पेरोक्साइड्स
11।	क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उनके यौगिक
12.	कोक ओवन संयंत्र, कोयला द्रवीकरण, कोयला तार आसवन और ईंधन गैस निर्माण
13.	सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट) के साथ सह-प्रसंस्करण वाले सीमेंट संयंत्र
14.	सीपीपी के बिना सह-प्रसंस्करण वाले सीमेंट संयंत्र
15.	सीपीपी के साथ सह-प्रसंस्करण के बिना सीमेंट संयंत्र
16.	बिना सह-प्रसंस्करण के सीमेंट संयंत्र, बिना सीपीपी के
17.	सीपीपी के साथ स्टैंड-अलोन ग्राइंडिंग इकाइयाँ
18.	क्लोर क्षार
19.	धुले हुए नमक का उपयोग करके क्लोर क्षार
20.	स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके क्लोर क्षार
21.	कोयला/तेल से चलने वाले भट्टों का उपयोग करके सिरेमिक/कांच/मिट्टी के बर्तन और टाइल निर्माण (ईंधन खपत: 12 टीपीडी और अधिक)
22.	रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पादित रंजक, रंजक मध्यवर्ती और वर्णक
23.	प्राकृतिक रंग और रंजक जिन्हें अम्लीय/क्षारीय/विलायक निष्कर्षण की आवश्यकता होती है
24.	सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन (अपशिष्ट जल उत्पादन> 100 KLD)
25.	आसवनी (गुड़ आधारित)
26.	आसवनी (अनाज आधारित)
27.	डिस्टिलरी (अनाज आधारित) जिसमें डिस्टिलर के सूखे अनाज घुलनशील (डीडीजीएस) उप-उत्पाद के रूप में हों
28.	स्टैंडअलोन यीस्ट निर्माण इकाइयाँ

29.	ब्रुअरीज और माल्टरीज़ उद्योग (किण्वन के साथ) - अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 100 KLD
30.	विस्फोटक, डेटोनेटर, फ़्यूज़ आदि का निर्माण।
31.	पेट्रोरसायन से उत्पन्न सिंथेटिक फाइबर-पीएसएफ और पीएफवाई
32.	रेयान, टायर कॉर्ड, विस्कोस फिलामेंट यार्न/स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक फाइबर सहित सिंथेटिक फाइबर
33.	रेयान, टायर कॉर्ड, विस्कोस फिलामेंट यार्न/स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक फाइबर सहित सिंथेटिक फाइबर, स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करते हुए
34.	उर्वरक (यूरिया)
35.	उर्वरक (कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट/अमोनियम नाइट्रेट)
36.	उर्वरक (एनपीके)
37.	उर्वरक (सीधे फॉस्फेटिक उर्वरक)
38.	कोयला/तरल ईंधन का उपयोग करके गोंद और जिलेटिन का निर्माण
39.	पायरोलिसिस/गैसीकरण द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन के लिए एकीकृत इकाई (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
40.	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन के लिए एकीकृत इकाई (क्षमता ≥ 15 टीपीडी) - (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
41.	पायरोलिसिस/गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
42.	खतरनाक अपशिष्ट पूर्व प्रसंस्करण/प्रसंस्करण सुविधा जिसमें व्ययित अम्ल प्रसंस्करण, व्ययित विलायक पुनर्प्राप्ति आदि शामिल हैं।
43.	दूध प्रक्रियाएँ और डेयरी उत्पाद (एकीकृत परियोजना)
44.	डेयरी और डेयरी उत्पाद (लघु इकाइयां), ईंधन के रूप में कोयला/बायोमास का उपयोग (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 100 KLD)
45.	खुले खदान कोयला खनन
46.	भूमिगत कोयला खनन
47.	प्रमुख खनिजों का खनन और अयस्क लाभकारीकरण
48.	एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र

49.	स्टैंड-अलोन सिंटरिंग/पैलेटाइजेशन
50.	सीपीपी (कैप्टिव पावर प्लांट) के साथ स्पंज आयरन
51.	सीपीपी रहित स्पंज आयरन
52.	स्टैंड-अलोन कोक ओवन गैस संयंत्र
53.	एल्युमीनियम रिफाइनरी
54.	एल्युमीनियम स्मेल्टर
55.	तांबा प्रगालक
56.	जिंक स्मेल्टर
57.	सभी लौह और अलौह धातु द्वितीयक प्रसंस्करण/पुनर्प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनमें पिघलने, शोधन, ढलाई, मिश्र धातु निर्माण (कोयला/तरल ईंधन का उपयोग करके) के माध्यम से विभिन्न भट्टियाँ शामिल हैं
58.	धातु की सतह का उपचार या अचार बनाने जैसी प्रक्रिया से संबंधित उद्योग या प्रक्रिया /इलेक्ट्रोप्लेटिंग/पेंट स्ट्रिपिंग/साइनाइड बाथ का उपयोग करके ताप उपचार/फॉस्फेटिंग या फिनिशिंग और एनोडाइजिंग /एनामेलिंग/गैल्वनाइजिंग
59.	रोलिंग और अचार बनाना
60.	तार खींचना और तार जाल लगाना (अचार के साथ)
61.	हैलोजनयुक्त हाइड्रोकार्बन सहित कार्बनिक रसायन (ठोस/तरल ईंधन का उपयोग करके)
62.	हैलोजनयुक्त हाइड्रोकार्बन सहित कार्बनिक रसायन (स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके)
63.	तेल और गैस निष्कर्षण (ड्रिलिंग कुओं के माध्यम से अपतटीय और तटवर्ती निष्कर्षण), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ड्रिलिंग और शेल गैस, जिसमें समूह एकत्रीकरण स्टेशन (जीजीएस) आदि शामिल हैं।
64.	कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र
65.	तरल ईंधन पर आधारित बिजली संयंत्र
66.	बायोमास आधारित बिजली संयंत्र
67.	परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र (> 220 मेगावाट)
68.	प्रक्षालित रासायनिक लुगदी, कागज और पेपरबोर्ड का निर्माण (कृषि और लकड़ी)

69.	रासायनिक लुगदी, कागज और पेपरबोर्ड (कृषि और लकड़ी) के निर्माण के लिए बिना ब्लीच या पूर्णतः क्लोरीन मुक्त (टीसीएफ) ब्लीचिंग
70.	रासायनिक लुगदी, कागज और पेपरबोर्ड के विरंजित ग्रेड जिनमें पूर्णतः क्लोरीन मुक्त (टीसीएफ) विरंजन (कृषि और लकड़ी) हो
71.	पुनर्नवीनीकृत फाइबर/अपशिष्ट कागज आधारित लुगदी एवं कागज (ब्लीचिंग के साथ)
72.	पुनर्नवीनीकृत फाइबर/अपशिष्ट कागज आधारित लुगदी एवं कागज (बिना ब्लीचिंग के, क्षमता ≥15 टीपीडी)
73.	विलायक-आधारित पेंट/वार्निश का निर्माण
74.	जल-आधारित पेंट का निर्माण
75.	पाउडर कोटिंग्स का निर्माण
76.	कीटनाशक तकनीकी (जैविक रसायन आधारित)
77.	कीटनाशक तकनीकी (जिंक फॉस्फाइड और एल्युमीनियम फॉस्फाइड जैसे अकार्बनिक रसायन आधारित)
78.	कीटनाशक निर्माण उद्योग (केवल तरल निर्माण) जिनके पास बॉयलर/थर्मोपैक है
79.	कीटनाशक निर्माण उद्योग (तरल और शुष्क दोनों प्रकार के निर्माण या केवल शुष्क निर्माण वाले) बिना बॉयलर/थर्मोपैक के
80.	कीटनाशक निर्माण उद्योग (तरल और शुष्क दोनों प्रकार के निर्माण या केवल शुष्क निर्माण वाले) जिनके पास बॉयलर/थर्मोपैक हो
81.	पेट्रोलियम तेल रिफाइनरियों
82.	पेट्रोकेमिकल्स (नेफ्था क्रैकर)
83.	पेट्रोकेमिकल्स (गैस क्रैकर)
84.	पेट्रोकेमिकल्स (बिना क्रैकर के)
85.	पेट्रोरसायन (बिना क्रैकर के और स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके)
86.	फार्मास्यूटिकल्स निर्माण
87.	स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके दवा निर्माण
88.	कोयला/तरल ईंधन पर आधारित रिफ्रैक्टरी (ईंधन खपत: 12 टीपीडी और अधिक)
89.	सिंथेटिक रेजिन निर्माण

90.	हाइड्रो और ओडब्ल्यू (एम और टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची IV के तहत खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुन: उपयोग में लगे उद्योग - आइटम, अर्थात्, निकेल, कैडमियम, जस्ता, तांबा, आर्सेनिक, वैनेडियम और कोबाल्ट युक्त अपशिष्ट उत्प्रेरक, जिसमें सूखी बैटरी (सीसा को छोड़कर) और साफ धातु उत्प्रेरक शामिल हैं। - हाइड्रो और पायरो धातुकर्म
91.	एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची IV के तहत खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुन: उपयोग में लगे उद्योग - आइटम, अर्थात्, निकेल, कैडमियम, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, वैनेडियम और कोबाल्ट युक्त अपशिष्ट उत्प्रेरक, जिसमें सूखी बैटरी (सीसा को छोड़कर) और साफ धातु उत्प्रेरक शामिल हैं। - हाइड्रो और पायरो धातु विज्ञान (स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके और सामग्री को कुचले बिना)
92.	खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुनः उपयोग में लगे उद्योग एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची IV - मदें, अर्थात्, व्ययित उत्प्रेरक इसमें निकल, कैडमियम, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, वैनेडियम और कोबाल्ट शामिल हैं, जिसमें सूखी बैटरी (सीसा को छोड़कर) और साफ़ धातु उत्प्रेरक शामिल हैं। - पायरो धातुकर्म (कोयला/तरल ईंधन का उपयोग करके)
93.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न ई-कचरे के पुनर्चक्रण में लगे उद्योग ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 में सूचीबद्ध उपकरण (ईईई) जो अपशिष्ट ईईई से पृथक प्लास्टिक के पायरो/हाइड्रो/इलेक्ट्रो-मेटलर्जिकल प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का उपयोग करते हैं
94.	खतरनाक अपशिष्ट (एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची iv के अनुसार आइटम) के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुनः उपयोग में लगे उद्योग - सीसा पुनर्चक्रण (लेड एसिड) एसिड युक्त बैटरियाँ; सीसा स्क्रैप पुनर्चक्रण) रोटरी फर्नेस/पिट फर्नेस (मंदिर/कैनोपी) भट्टी)

95.	खतरनाक अपशिष्ट (एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची iv के अनुसार आइटम) के पुनर्चक्रण / पुनर्प्रसंस्करण / पुनर्प्राप्ति / पुन: उपयोग में लगे उद्योग - सीसा पुनर्चक्रण (ड्रेन्ड लेड एसिड बैटरी; लेड स्क्रैप पुनर्चक्रण) स्वच्छ ईंधन पर रोटरी फर्नेस / मंदिर भट्टी
96.	चीनी (खांडसारी/गुड़ को छोड़कर)
97.	बूचड़खाना / बूचड़खाना (रेंडरिंग प्लांट के साथ) / एकीकृत वध इकाई, मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ, हड्डी मिल, पशुओं के सींग, खुर और शरीर के अन्य अंगों का प्रसंस्करण
98.	अर्धचालक फ़ैब्स निर्माण
99.	प्रदर्शन फ़ैब्स निर्माण
100.	सेंसर फ़ैब्स निर्माण/यौगिक अर्धचालक/सिलिकॉन फोटोनिक्स
101.	चर्मशोधन कारखाने (कच्चे से लेकर तैयार तक)
102.	चर्मशोधन कारखाने (कच्चे से गीले नीले रंग तक)
103.	टेनरी (समाप्त करने के लिए गीला नीला)
104.	यार्न/वस्त्र प्रसंस्करण जिसमें विरंजन, रंगाई, छपाई और रंगाई सहित कोई भी अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग भी शामिल है
105.	अपशिष्ट वस्त्र कपड़े के पुनर्प्रसंस्करण के लिए एकीकृत सुविधा (धुलाई, विरंजन, रंगाई आदि सहित)
106.	प्रयोगशाला रसायन जिसमें आसवन, शुद्धिकरण प्रक्रिया शामिल है।
107.	एकल विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला
108.	खांडसारी चीनी / गुड़ (बॉयलर का उपयोग करके)
109.	एमईई/स्प्रे ड्रायर युक्त सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)
110.	सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) (एमईई/स्प्रे ड्रायर के बिना), सामान्य एमईई/सामान्य स्प्रे ड्रायर
111.	सामान्य सीवेज-अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीएसईटीपी)
112.	अपशिष्ट परिवहन परियोजनाएँ
113.	सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा- एकीकृत सुविधा (सुरक्षित लैंडफिल और भस्मक)
114.	सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान

	सुविधा- केवल सुरक्षित लैंडफिल
115.	सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा- केवल भस्मक
116.	सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ)
117.	स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करने वाली सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ)
118.	औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट पर आधारित सीबीजी संयंत्र।
119.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित)- कैप्टिव इंसिनेरेटर के साथ एचसीएफ, बिस्तरों की संख्या की परवाह किए बिना
120.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - 1000 से अधिक बिस्तरों वाली एचसीएफ
121.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) 501 से 1,000 बिस्तरों वाली एचसीएफ
122.	होटल/बैंक्वेट हॉल जिनमें कमरे की सुविधा हो (3 स्टार से ऊपर) या 100 या उससे अधिक कमरे हों
123.	रेलवे लोकोमोटिव कार्यशाला/ एकीकृत सड़क परिवहन कार्यशाला/ अधिकृत सेवा केंद्र (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 10 KLD)
124.	बंदरगाह और बंदरगाह, जेटी और ड्रेजिंग परिचालन
125.	डेयरी फार्म (500 से अधिक पशुओं वाला)
126.	पंप भंडारण परियोजनाओं सहित जल विद्युत संयंत्र (क्षमता > 50 मेगावाट)
127.	नदी तल और उसके बाढ़ के मैदानों से रेत/नदी तल सामग्री खनन - 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टा क्षेत्र या 5 हेक्टेयर तक का खनन पट्टा क्षेत्र जो क्लस्टर खनन का हिस्सा है

नारंगी श्रेणी

एस.एन.	उद्योग/गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/उत्पाद
1.	बेकरी, कन्फेक्शनरी, मिठाइयाँ जिनकी उत्पादन क्षमता ≥ 1 TPD है
2.	ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले ईंट भट्टे
3.	ईंट भट्टे ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करते हैं
4.	सुरंग ईंट भट्टे (गैस चालित)

5.	ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करके एएसी ईंटों/ब्लॉकों का निर्माण (12 टीपीडी से कम)
6.	ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करके एएसी ईंटों/ब्लॉकों का निर्माण
7.	ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करके एएसी ईंटों/ब्लॉकों का निर्माण
8.	फ्लाई ऐश ईंटें/ब्लॉक निर्माण (बॉयलर के साथ)
9.	गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों का विनिर्माण (अपशिष्ट जल उत्पादन < 100 KLD)
10.	शुष्क सेल बैटरी (इलेक्ट्रोड के निर्माण को छोड़कर) और सूक्ष्म पैमाने पर एसिड लेड बैटरी की संयोजन और चार्जिंग
11।	सक्रिय कार्बन निर्माण (भाप सक्रियण के साथ)
12.	सीपीपी के बिना स्टैंड-अलोन ग्राइंडिंग इकाइयाँ
13.	क्लीनर/गैसीय ईंधन और धुले हुए नमक का उपयोग करके क्लोर क्षार
14.	कॉयर विरंजन और रंगाई/मुद्रण इकाइयाँ
15.	कोयला/तेल से चलने वाले भट्टों का उपयोग करके सिरेमिक/कांच/मिट्टी के बर्तन और टाइल निर्माण (ईंधन खपत: 12 टीपीडी से कम)
16.	सिरेमिक/कांच/मिट्टी के बर्तन और टाइल निर्माण (गैस से चलने वाले भट्टों का उपयोग करके)/सुरंग भट्ठी
17.	कोयला वाशरी
18.	तरल फर्श क्लीनर, काला फिनाइल, तरल साबुन, ग्लिसरॉल मोनो-स्टीयरेट निर्माण
19.	काजू प्रसंस्करण
20.	कॉफी बीज प्रसंस्करण (गीली प्रक्रिया)
21.	प्राकृतिक रंग और पिगमेंट को अम्लीय/क्षारीय/विलायक निष्कर्षण की आवश्यकता नहीं होती है
22.	सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन (अपशिष्ट जल उत्पादन < 100 KLD)
23.	ब्रुअरीज और माल्टरीज़ उद्योग (किण्वन के साथ) - अपशिष्ट जल उत्पादन < 100 KLD
24.	फाइबर ग्लास (सीसा युक्त) उत्पादन और प्रसंस्करण (मोल्डिंग को छोड़कर)
25.	फाइबर ग्लास (सीसा रहित) उत्पादन और प्रसंस्करण (मोल्डिंग को छोड़कर)
26.	उन्नत पटाखे/हरित पटाखे आदि सहित पटाखों का विनिर्माण।

27.	उर्वरक (दानेदार बनाना / सूत्रीकरण / मिश्रण) फर्श धुलाई, शीतलन टावरों आदि के माध्यम से अपशिष्ट जल उत्पन्न करना।
28.	उर्वरक (दानेदारीकरण/सूत्रीकरण/मिश्रण) अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं करता
29.	खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण शामिल है (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 10 KLD)
30.	मछली चारा, मुर्गी चारा और मवेशी चारा (बॉयलर के साथ)
31.	मछली प्रसंस्करण और पैकिंग (मछलियों को ठंडा करने को छोड़कर)
32.	पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, स्वान टिम्बर आदि से मॉड्यूलर लकड़ी का फर्नीचर, चूरा, लकड़ी के चिप्स आदि से छत की टाइलें/विभाजन बोर्ड, तथा सिंथेटिक चिपकने वाले रेजिन का उपयोग करके अन्य कृषि अपशिष्ट, लकड़ी के बक्से बनाना (बॉयलर सहित)
33.	बायोमास/स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके गोंद और जिलेटिन का निर्माण
34.	कांच का विनिर्माण - (हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करके कांच शीट की छपाई या नक्काशी सहित) (तेल/कोयला चालित)
35.	कांच का विनिर्माण- (हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करके कांच शीट की छपाई या नक्काशी सहित) (गैस से चलाया गया)
36.	पारंपरिक कोयला गैसीकरण का उपयोग कर उत्पादक गैस संयंत्र
37.	नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन के माध्यम से अमोनिया के उत्पादन के लिए एकीकृत इकाई (क्षमता < 15 टीपीडी) - (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
38.	कच्चे/समुद्री जल और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन (क्षमता ≥ 2.5 टीपीडी)
39.	ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने वाले हॉट मिक्स प्लांट
40.	ईंधन के रूप में गैसीय पदार्थों का उपयोग करने वाले हॉट मिक्स संयंत्र
41.	आइसक्रीम निर्माण इकाइयाँ
42.	मुद्रण स्याही निर्माण
43.	जूट प्रसंस्करण (रंगाई के साथ/बॉयलर के साथ)
44.	चूना निर्माण (चूना भट्टी का उपयोग करके)

45.	डेयरी और डेयरी उत्पाद (लघु इकाइयां), ईंधन के रूप में कोयला/बायोमास का उपयोग (अपशिष्ट जल उत्पादन < 100 केएलडी)
46.	डेयरी और डेयरी उत्पाद, (लघु पैमाने की इकाइयाँ), ईंधन के रूप में पीएनजी का उपयोग
47.	लघु खनिजों का खनन (रेत/नदी तल सामग्री खनन को छोड़कर)
48.	लघु खनिजों का पीसना, प्रसंस्करण और स्क्रीनिंग
49.	शीट ग्लास से दर्पण का निर्माण
50.	खनिज प्रसंस्करण, अयस्क सिंटरिंग, पेलेटिसेटिंग, पीसना और चूर्णीकरण से जुड़े उद्योग
51.	माल्टरीज़ (बिना किण्वन के)
52.	मच्छर भगाने वाली दवा और कॉइल का निर्माण
53.	लौह और अलौह धातु (सीसा, निकल और मैंगनीज को छोड़कर) द्वितीयक प्रसंस्करण/पुनर्प्रसंस्करण इकाइयाँ जिनमें पिघलने, शोधन, ढलाई, मिश्र धातु निर्माण (स्वच्छ ईंधन/बिजली का उपयोग करके) के माध्यम से विभिन्न भट्टियाँ शामिल हैं
54.	तेल से चलने वाली भट्टी का उपयोग करके स्क्रैप से एल्युमीनियम और तांबा निकालना (केवल शुष्क प्रक्रिया)
55.	प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग (इलेक्ट्रोप्लेटिंग)
56.	तरल ईंधन का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की फोर्जिंग
57.	गैसीय ईंधन का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की फोर्जिंग
58.	बिजली का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की फोर्जिंग
59.	रोलिंग मिलें (तेल और कोयला चालित)
60.	कपोला भट्टी
61.	प्रेरण भट्टी/आर्क भट्टी
62.	कपूर/नेफ़थलीन पाउडर से कपूर की गोलियां, नेफ़थलीन बॉल्स का निर्माण/पैलेटीकरण।
63.	विलायक निष्कर्षण और रिफाइनरी/हाइड्रोजनीकृत तेलों सहित वनस्पति तेल निर्माण
64.	परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (220 मेगावाट तक)
65.	गैस आधारित बिजली संयंत्र

66.	पुनर्नवीनीकृत फाइबर/अपशिष्ट कागज आधारित लुगदी एवं कागज (बिना ब्लीचिंग के; संयंत्र क्षमता <15 टीपीडी)
67.	पेंट और वार्निश का निर्माण (केवल सम्मिश्रण और मिश्रण)
68.	कीटनाशक निर्माण उद्योग (केवल तरल निर्माण) बिना बॉयलर/थर्मोपैक के
69.	फोटोग्राफिक फिल्म और उसके रसायन
70.	स्नेहन तेल, ग्रीस और पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का विनिर्माण
71.	फार्मास्यूटिकल्स (फॉर्मूलेशन)
72.	स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करने वाली दवाइयाँ (सूत्रीकरण)
73.	वैक्सीन निर्माण
74.	स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके वैक्सीन निर्माण
75.	फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं
76.	आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं का निर्माण
77.	स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं का निर्माण
78.	बायोमास फायर्ड बॉयलर / थर्मिक फ्लूइड हीटर (रेजिन प्लांट के बिना) के साथ प्लाईवुड / बोर्ड निर्माण (विनियर और लैमिनेट सहित)
79.	प्रिंटिंग प्रेस (समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, आदि/ ग्रैव्यूर प्रिंटिंग)
80.	मोल्डिंग को छोड़कर सिंथेटिक रबर
81.	कोयला/तरल ईंधन पर आधारित अपवर्तक (ईंधन खपत: 12 टीपीडी से कम)
82.	स्वच्छ ईंधन पर आधारित अपवर्तक
83.	टायर और ट्यूब निर्माण
84.	टायर और ट्यूब वल्कनीकरण/ गर्म पुनर्रचना
85.	रबर सामान उद्योग (ठोस ईंधन/तेल आधारित बॉयलर के साथ)
86.	सिंथेटिक रेजिन निर्माण (केवल गैसीय ईंधन का उपयोग करके)
87.	पारबोइल्ड चावल मिल (भिगोने और भाप/सुखाने की मशीन के साथ)
88.	खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुनः उपयोग में लगे उद्योग एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची IV - मदें, अर्थात्, व्ययित उत्प्रेरक निकेल, कैडमियम, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, वैनेडियम और कोबाल्ट युक्त,

	सूखी बैटरी (सीसा को छोड़कर) और साफ़ धातु उत्प्रेरक सहित। - पायरो धातुकर्म (स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके)
89.	खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुनः उपयोग में लगे उद्योग एच एंड ओडब्ल्यू (एम एंड टीबीएम) नियम, 2016 की अनुसूची IV - मदें, अर्थात्, व्ययित उत्प्रेरक निकेल, कैडमियम, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, वैनेडियम और कोबाल्ट युक्त, सूखी बैटरी (सीसा को छोड़कर) और साफ़ धातु उत्प्रेरक सहित। - हाइड्रो मेटलर्जी
90.	ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) से उत्पन्न ई-कचरे के पुनर्चक्रण में लगे उद्योग (पीसीबी प्रसंस्करण केवल यांत्रिक प्रसंस्करण और पायरो/हाइड्रो/इलेक्ट्रो-मेटलर्जिकल प्रसंस्करण के बिना पृथक्करण तक सीमित), गैर-पीसीबी स्रोतों से अल, कॉपर और अन्य धातुओं का उत्पादन और/या अपशिष्ट ईईई से अलग किए गए प्लास्टिक का पुनर्चक्रण।
91.	पृथक भंडारण (जैसा कि संशोधित खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित किया गया है)
92.	पेंट और स्याही कीचड़ / अवशेषों का पुनर्चक्रण
93.	सीसा, पेंट और स्याही के अवशेष को छोड़कर, खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण/पुनर्प्राप्ति/पुनः उपयोग में लगे उद्योग
94.	हाइड्रो-ट्रीटिंग/विलायक निष्कर्षण का उपयोग करके प्रयुक्त तेल का शोधन
95.	मिट्टी उपचार के साथ पतली फिल्म वाष्पीकरण/वैक्यूम आसवन का उपयोग करके प्रयुक्त तेल का शोधन
96.	अपशिष्ट तेल का पुनर्चक्रण/पुनर्प्रसंस्करण
97.	पीईटी बोतलों के पुनर्चक्रण से फ्लेक्स/स्टेपल फाइबर/स्ट्रिप का निर्माण
98.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण (फ्लेक्स/कणिकाओं का निर्माण)
99.	जीवन-अंत वाहनों, वैगनों और कोचों के पुनर्चक्रण के लिए स्क्रैपिंग सुविधाएं (संग्रह, प्रदूषण निवारण और विघटन केंद्र (बिना श्रेडिंग के)
100.	जीवन-अंत वाहनों, वैगनों और कोचों के पुनर्चक्रण के लिए स्क्रैपिंग सुविधाएं - संग्रहण, प्रदूषण-निवारण, विघटन और श्रेडिंग केंद्र
101.	जहाज तोड़ने वाले उद्योग

102.	सिलिका जेल का निर्माण
103.	कच्चे/अपरिष्कृत नमक से आयोडीन युक्त नमक का निर्माण
104.	स्टार्च / साबूदाना / सोर्बिटोल का निर्माण
105.	पत्थर तोड़ने वाले
106.	पत्थर तोड़ना/पीसना/धुलाई और नदी तल की सामग्री की स्क्रीनिंग
107.	सर्जिकल और चिकित्सा उत्पादों का विनिर्माण
108.	वनस्पति टैनिंग
109.	टूथपेस्ट और अन्य सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का निर्माण
110.	कांच (पारा आधारित) थर्मामीटर निर्माण
111.	टेफ्लॉन-आधारित उत्पादों का निर्माण
112.	थर्मोकोल निर्माण (बॉयलर के साथ)
113.	सिगरेट और तंबाकू प्रक्रियाओं सहित तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण (बॉयलर सहित)
114.	टायर पायरोलिसिस तेल उद्योग-उन्नत बैच स्वचालित प्रक्रिया / निरंतर के लिए लागू टीपीओ इकाइयाँ
115.	चाय प्रसंस्करण (बॉयलर के साथ)
116.	जल जेट मशीनों से सूत से ग्रे रंग का कपड़ा बनाना
117.	स्क्रीन / लकड़ी के ब्लॉक / हाथ ब्लॉक द्वारा साड़ी / कपड़े की छपाई
118.	कपड़ा कताई, आकार निर्धारण और बुनाई मिलें (अपशिष्ट जल उत्पादन≥ 10 KLD)
119.	सीएफएल, ट्यूब लाइट, बल्ब आदि (पारा और उसके यौगिक का उपयोग करके)
120.	खतरनाक अपशिष्ट का आयातक/निर्यातक
121.	औद्योगिक एस्टेट/पार्क/परिसर/क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र/जैव प्रौद्योगिकी पार्क/चमड़ा परिसर
122.	एलपीजी बॉटलिंग प्लांट
123.	खतरनाक कचरे का परिवहनकर्ता
124.	सीसा ऑक्साइड/ सीसा प्लेटें और इसके व्युत्पन्न (सीधे धातु से)

125.	कुल क्षमता ≥ 1 MVA का स्टैंडअलोन जनरेटर सेट (जेनसेट्स), तरल ईंधन का उपयोग करते हुए
126.	हवाई अड्डों
127.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - 201 से 500 बिस्तरों वाली एचसीएफ
128.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - 51 से 200 बिस्तरों वाली एचसीएफ
129.	होटल/बैंक्वेट हॉल जिनमें कमरे की सुविधा हो (3 स्टार से ऊपर) या 100 या उससे अधिक कमरे हों (स्वच्छ/गैसीय ईंधन पर आधारित)
130.	होटल/बैंक्वेट हॉल जिनमें कमरे की सुविधा हो (3 स्टार तक) या 20 से अधिक लेकिन 100 से कम कमरे हों।
131.	मैरिज गार्डन/रेस्टोरेंट> 36 सीटें या 100 वर्ग मीटर क्षेत्र
132.	रेलवे लोकोमोटिव कार्यशाला/ एकीकृत सड़क परिवहन कार्यशाला/ अधिकृत सेवा केंद्र (अपशिष्ट जल उत्पादन <10 केएलडी)
133.	रेलवे स्टेशन (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 5 एमएलडी)
134.	बंदरगाह और बंदरगाह (केवल कंटेनर हैंडलिंग)/ कैप्टिव जेटी
135.	ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन/कार्यशालाएँ
136.	भवन निर्माण परियोजना ≥ 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल
137.	भूमि/क्षेत्र विकास परियोजना > =50 हेक्टेयर
138.	स्टैंडअलोन मशीनीकृत लॉंड्री (बॉयलर का उपयोग करके)
139.	नई राजमार्ग निर्माण परियोजना
140.	डेयरी फार्म (101 से 500 पशुओं वाले)
141.	डेयरी फार्म (15 से 100 पशुओं वाले)
142.	पंप भंडारण परियोजनाओं सहित लघु जल विद्युत संयंत्र (क्षमता 25 एमवीए से अधिक और 50 मेगावाट तक)
143.	नदी तल और उसके बाढ़ के मैदानों से रेत / नदी तल सामग्री खनन - क्षेत्रों में पांच हेक्टेयर तक एकल खनन पट्टा क्षेत्र (किसी भी क्लस्टर खनन का हिस्सा नहीं)

हरी श्रेणी

एस.एन.	उद्योग/गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/उत्पाद
1.	अलमारी, ग्रिल निर्माण (शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया)
2.	बेकरी, कन्फेक्शनरी, मिठाइयाँ जिनकी उत्पादन क्षमता ≥ 1 टीपीडी है। (स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करके)
3.	फ्लाई ऐश ईंटें/ब्लॉक निर्माण (बॉयलर के बिना)
4.	बॉयलर के बिना बैटरी निर्माण (लेड एसिड बैटरी को छोड़कर)
5.	ब्रिकेट निर्माण (कोयला/बायोमास/कोक)
6.	सीमेंट के भंडारण और पैकेजिंग के लिए बल्क टर्मिनल
7.	कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर (सीडी/डीवीडी) का निर्माण / कैसेट निर्माण / रील निर्माण
8.	नारियल रेशा/पिथ प्रसंस्करण इकाइयाँ अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं
9.	सिरेमिक/कांच/मिट्टी के बर्तन और टाइल निर्माण (केवल विद्युत भट्ठी का उपयोग करके)
10.	फिनाइल/टॉयलेट क्लीनर का निर्माण और बोतलबंदी
11.	इको-पल्पर से कॉफी के बीजों का प्रसंस्करण
12.	कैंडी का निर्माण
13.	प्रीकास्ट सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण (एस्बेस्टस/बॉयलर/स्टीम क्योरिंग का उपयोग किए बिना) जैसे पाइप, पिलर, जाफरी, वेल रिंग, ब्लॉक/टाइल्स आदि (फ्यूगिटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बंद कवर वाले शेड में किया जाना चाहिए)
14.	केवल मिश्रण एवं सम्मिश्रण द्वारा सिरेमिक रंग का निर्माण (बॉयलर एवं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण प्रक्रिया का उपयोग नहीं करके)
15.	शीतलन संयंत्र
16.	शीतगृह
17.	बर्फ बनाना
18.	विद्युत भट्टी द्वारा सिरेमिक कप और प्लेटों की सजावट
19.	तैयार मिश्रण सीमेंट कंक्रीट
20.	CO2 पुनर्प्राप्ति संयंत्र
21.	सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन (केवल फॉर्मूलेशन)
22.	शराब उत्पादों के सम्मिश्रण और बोतलबंदी द्वारा पीने योग्य शराब

23.	लेपित इलेक्ट्रोड का निर्माण
24.	एमरी पाउडर (रेत की बारीक धूल) निर्माण
25.	खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण जिसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण शामिल है - अपशिष्ट जल उत्पादन < 10 KLD (बॉयलर के बिना)
26.	मछली चारा, मुर्गी चारा और मवेशी चारा (बॉयलर के बिना)
27.	पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, स्वान टिम्बर आदि से मॉड्यूलर लकड़ी का फर्नीचर, चूरा, लकड़ी के चिप्स आदि से छत की टाइलें/विभाजन बोर्ड, तथा सिंथेटिक चिपकने वाले रेजिन का उपयोग करके अन्य कृषि अपशिष्ट, लकड़ी के बक्से बनाना (बॉयलर के बिना)
28.	विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे विद्युत वुड प्लानर, स्टील आरी कटिंग सर्कुलर ब्लेड आदि की सहायता से स्प्रे पेंटिंग (आरा मिल को छोड़कर) के साथ बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण।
29.	फोम निर्माण
30.	आटा मिलें (शुष्क प्रक्रिया)
31.	स्प्रे पेंटिंग के साथ स्टील फर्नीचर
32.	कच्चे/समुद्री जल और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन (क्षमता < 2.5 टीपीडी) - (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
33.	गैस/विद्युत चालित ओवन/बॉयलर के साथ स्टार्च (भौतिक मिश्रण) से गोंद।
34.	सोने और चांदी की कारीगरी (एसिड प्रगलन प्रक्रिया और सल्फ्यूरिक एसिड पॉलिशिंग प्रक्रिया द्वारा शुद्धिकरण) (प्रति माह 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड/नाइट्रिक एसिड के बराबर या उससे कम का उपयोग करके)
35.	जूट प्रसंस्करण (बिना रंगाई / बिना बॉयलर के)
36.	ऑप्टिकल लेंस का निर्माण (विद्युत भट्टी का उपयोग करके)
37.	जेनसेट का उपयोग करने वाले मोबाइल टावर
38.	भट्ठी का उपयोग करके ताप उपचार (साइनाइडिंग के बिना)
39.	अल्ट्रासाउंड जांच, प्रेरण सख्तीकरण, आयनीकरण बीम, गैस कार्बराइजिंग आदि जैसी किसी भी नई तकनीक के साथ ताप उपचार।
40.	लौह और अलौह धातुओं की फोर्जिंग (शीत फोर्जिंग, बिना किसी ताप उपचार के)
41.	रोलिंग मिलें (गैस चालित)

42.	तार खींचना और तार जाल लगाना (बिना अचार के और गर्मी उपचार के साथ)
43.	केवल डाई-कास्टिंग/एक्सट्रूज़न प्रक्रिया
44.	एल्युमीनियम के गोलों से एल्युमीनियम के बर्तनों का निर्माण / पीतल और बेल धातु के बर्तनों का निर्माण (केवल शुष्क यांत्रिक संचालन)
45.	तेल मिलें घनी और बॉयलर के बिना निष्कर्षण (कोई शोधन/हाइड्रोजनीकरण नहीं)
46.	स्नेहक तेल, ग्रीस और पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का विनिर्माण (केवल सम्मिश्रण)
47.	आयुर्वेदिक या यूनानी औषधियों का निर्माण (बॉयलर के बिना)
48.	फ्लेक्स/विनाइल, पीवीसी आदि पर डिजिटल प्रिंटिंग (5 से अधिक मशीनें)
49.	स्प्रे पेंटिंग, पेंट बेकिंग, पेंट शिपिंग
50.	धातुकरण कार्यों के साथ-साथ द्वि-अक्षीय उन्मुख पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) फिल्म का निर्माण
51.	दाल मिलें
52.	इन्सुलेशन और अन्य लेपित कागज़ (कागज़ या पाइप निर्माण को छोड़कर)
53.	गैर-एस्बेस्टस फाइबर, वनस्पति फाइबर यार्न से पैकेजिंग सामग्री का निर्माण
54.	पॉलिथीन और प्लास्टिक प्रसंस्कृत उत्पाद विनिर्माण (वर्जिन/कम्पोस्टेबल प्लास्टिक)
55.	मुर्गी पालन, सूअर पालन और हैचरी
56.	मुरमुरे (गैस का उपयोग करके)
57.	रबर सामान उद्योग (गैस आधारित बॉयलर के साथ)
58.	मेलामाइन रेजिन और विभिन्न पाउडर, योजकों का भौतिक मिश्रण द्वारा सम्मिश्रण, जिसमें फेनोलिक रेजिन (बॉयलर के बिना) शामिल है
59.	कच्चे चावल की चक्की (बिना भिगोए और भाप/ड्रायर के)/ हलर)
60.	ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) से उत्पन्न ई-कचरे के (केवल) निराकरण में लगे उद्योग
61.	ई-कचरा नवीनीकरण केंद्र
62.	जीवन-अंत वाहनों, वैगनों और कोचों के पुनर्चक्रण के लिए स्क्रैपिंग सुविधाएं - सामान्य श्रेडर (स्टैंडअलोन)
63.	केवल शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उत्पाद (अपशिष्ट-उत्पादक प्रक्रियाओं के साथ)
64.	सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग सुविधा (एटीएमपी)
65.	आरा मिलें

66.	मसाला पीसना
67.	संगमरमर, ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों की कटाई, आकार निर्धारण और पॉलिशिंग
68.	टूथ पाउडर, टैल्कम पाउडर का निर्माण
69.	सिगरेट और तंबाकू प्रक्रियाओं सहित तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण (बॉयलर के बिना)
70.	ट्रांसफार्मर की मरम्मत/निर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
71.	इमली पाउडर निर्माण
72.	चाय प्रसंस्करण (बॉयलर के बिना)
73.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें दोहरीकरण / रीलिंग / टीएफओ शामिल है - एक इकाई के लिए दो (शुष्क प्रक्रिया) - बॉयलर के साथ
74.	अपशिष्ट उत्पादन के बिना हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग
75.	कपड़ा कताई, आकार निर्धारण और बुनाई मिलें (अपशिष्ट जल उत्पादन <10 KLD)
76.	पावर लूम (बिना रंग और ब्लीचिंग के)
77.	अपशिष्ट वस्त्र कपड़े का पुन:प्रसंस्करण (शुष्क प्रक्रिया)
78.	भाप से गर्म किए गए कक्ष में लकड़ी का संशोषण
79.	बांस और स्क्रैप लकड़ी का चूर्णीकरण
80.	आसुत जल (बॉयलर के बिना) जिसमें ऊष्मा का स्रोत विद्युत हो
81.	जल का शुद्धिकरण और पैकेजिंग (खनिजयुक्त/गैर-खनिजयुक्त जल)
82.	तिल्ली प्रसंस्करण
83.	निर्माण प्रक्रिया (स्प्रे पेंटिंग के साथ)
84.	सुगंध और औद्योगिक इत्र.
85.	प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण
86.	ऑटोमोबाइल ईंधन आउटलेट (केवल वितरण)
87.	पीयू/पीवीसी फुटवियर निर्माण
88.	अनाज को भिगोना और प्रसंस्करण करना
89.	सी एंड एफ, संस्थानों/विभागों, दुकानों आदि से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट जैसे फेंकी गई/समाप्त हो चुकी दवाइयां/कीटनाशक/एफएमसी/समाप्त हो चुकी सूखी पटाखे/पटाखे/ट्रांसफार्मर तेल/मादक पदार्थ आदि।
90.	भौतिक पृथक्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन आदि औद्योगिक गैसों का पृथक्करण।

91.	प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, बोर्ड, स्क्रैप आदि जैसे गैर-खतरनाक अपशिष्टों का पुनः प्रसंस्करण/हैंडलिंग/भंडारण आदि (वास्तविक उपयोगकर्ता)
92.	विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए भौतिक मिश्रण से बने उत्पाद (बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के)
93.	खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों का भंडारण और हैंडलिंग
94.	बांध में फ्लाई ऐश का भंडारण
95.	गुड़ बनाना (बॉयलर के बिना)
96.	कुल क्षमता ≥ 1 MVA का स्टैंडअलोन जनरेटर सेट (जेनसेट्स), स्वच्छ/गैसीय ईंधन का उपयोग करते हुए
97.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - 11 से 50 बिस्तरों वाली एचसीएफ
98.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - 10 बिस्तरों तक की एचसीएफ
99.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित) - गैर-बिस्तर वाली एचसीएफ
100.	होटल/बैंक्वेट हॉल में कमरे की सुविधा - अधिकतम 20 कमरे
101.	रेलवे स्टेशन (अपशिष्ट जल उत्पादन ≥ 100 KLD, लेकिन < 5 MLD)
102.	रेलवे साइडिंग / खनिज स्टॉक यार्ड
103.	भवन निर्माण परियोजना ≥ 5,000 वर्ग मीटर, लेकिन < 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र (टर्मिनल एसटीपी से कनेक्टिविटी के बिना)
104.	भवन निर्माण परियोजना ≥ 2,000 वर्ग मीटर, लेकिन < 5,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र (टर्मिनल एसटीपी से कनेक्टिविटी के बिना)/ भूमि/क्षेत्र विकास क्षेत्र परियोजनाएं < 5 हेक्टेयर और > 01 हेक्टेयर
105.	भूमि/क्षेत्र विकास क्षेत्र परियोजनाएं < 50 हेक्टेयर और > 05 हेक्टेयर और अपशिष्ट जल < 100 केएलडी।
106.	स्टैंडअलोन मशीनीकृत लॉंड्री (बॉयलर के बिना)
107.	स्वर्ण परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र
108.	थोक में खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधा
109.	फ्लाईऐश निर्यात या निपटान परिचालन

110.	तेल और गैस परिवहन पाइपलाइन (खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार, खतरनाक रसायनों के पृथक भंडारण की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली पाइपलाइन को छोड़कर)
111.	गौशालाओं

नीली श्रेणी

एस.एन.	उद्योग/गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/उत्पाद
1.	नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सैनिटरी लैंडफिल/सामग्री पुनर्चक्रण सुविधा के साथ एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल/अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन, आदि)
2.	अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले विद्युत संयंत्र
3.	विरासत अपशिष्ट परियोजनाओं का जैव-खनन
4.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैव-मीथेनेशन संयंत्र (MSW की मात्रा ≥ 5 TPD)
5.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट खाद सुविधा (MSW की मात्रा ≥ 5 TPD)
6.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ पुनर्प्राप्ति सुविधा (MSW की मात्रा ≥ 5 TPD)
7.	निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र
8.	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (5 एमएलडी और उससे अधिक)
9.	सीवेज उपचार संयंत्र (5 एमएलडी से कम)
10.	सीबीजी संयंत्र, चाहे वे किसी भी प्रकार के फीड स्टॉक हों - एमएसडब्ल्यू, कृषि-अवशेष, ऊर्जा फसलें/घास/खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड, आदि (औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा) 50 केएलडी या उससे अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं।
11।	सीबीजी संयंत्र, चाहे वे किसी भी फीड स्टॉक - एमएसडब्ल्यू, कृषि-अवशेष, ऊर्जा फसलें/घास/खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड आदि (औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा) से कम अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हों 50 केएलडी
12.	सीबीजी संयंत्र फीड स्टॉक - एमएसडब्ल्यू, कृषि-अवशेष, ऊर्जा फसलें / घास / खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड, आदि (औद्योगिक / प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा) के बावजूद, किसी भी अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं करते हैं और उप-उत्पादों का उत्पादन करते हैं - (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम) / तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) / समृद्ध खाद और / या (ii) ईंधन का उपयोग करके ब्रिकेट / गोली।

श्वेत श्रेणी

अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित और 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले उद्योगों के लिए: -

एस.एन.	उद्योग/गतिविधियाँ/परियोजनाएँ/उत्पाद
1.	एयर कूलर/कंडीशनर की असेंबली, मरम्मत और सर्विसिंग।
2.	साइकिल, शिशु गाड़ी और अन्य छोटे गैर-मोटर चालित वाहनों की असेंबली
3.	बेकार कागज, प्लास्टिक अपशिष्ट आदि को बेलिंग (हाइड्रोलिक प्रेस) करना।
4.	अकार्बनिक रसायन का उपयोग किए बिना जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक।
5.	लुढ़की हुई पीवीसी/पेपर बोर्ड शीट से बिस्किट/अंडे की ट्रे आदि (स्वचालित वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन का उपयोग करके)
6.	चाय का सम्मिश्रण और पैकेजिंग
7.	ढलाई के बिना मुद्रण के लिए ब्लॉक बनाना
8.	प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाना (केवल कास्टिंग, बॉयलर आदि के बिना (सूर्य में सुखाना / विद्युत ओवन)
9.	कच्चे द्रव ऑक्सीजन से संपीड़ित ऑक्सीजन गैस, मेडिकल ऑक्सीजन (किसी विलायक के उपयोग के बिना और केवल अन्य गैसों के पृथक्करण के लिए दबाव और तापमान बनाए रखते हुए)
10.	कपास, सिंथेटिक, रेशम और ऊनी होजरी बनाना (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई/धुलाई प्रक्रिया के (लघु उद्योग और कुटीर उद्योग)
11।	डीजल पंप की मरम्मत और सर्विसिंग शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया
12.	केवल संयोजन द्वारा विद्युत लैंप (बल्ब), एलईडी और सीएफएल का निर्माण
13.	ई-अपशिष्ट नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संयोजन (पूर्णतः शुष्क प्रक्रिया)
14.	इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयाँ (बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण कार्य/पेंटिंग के शुष्क प्रक्रिया)
15.	सुगंधित बीटल नट उत्पादन/पीसना (पूरी तरह से शुष्क यांत्रिक संचालन)
16.	केवल संयोजन द्वारा फाउंटेन पेन निर्माण
17.	कांच की नलियों से कांच के एम्प्यूल और शीशियां बनाना।
18.	ग्लास पुट्टी और सीलेंट केवल मशीन से मिलाकर
19.	मूंगफली का छिलका उतारना (सूखा)

20.	हथकरघा/कालीन बुनाई (रंगाई और विरंजन कार्य के बिना)
21.	चमड़े की कटाई और सिलाई (50 से कम मशीनें और मोटर का उपयोग)
22.	नारियल की भूसी से कॉयर वस्तुओं का निर्माण
23.	केवल धातु प्रेसिंग द्वारा धातु के ढक्कन, कंटेनर आदि का निर्माण।
24.	जूता ब्रश, तार ब्रश, बाल ब्रश, पेंट ब्रश आदि का निर्माण
25.	चिकित्सा ऑक्सीजन
26.	कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व (भौतिक मिश्रण द्वारा) (बॉयलर और रिएक्टर के बिना)
27.	जैविक खाद (मैन्युअल मिश्रण).
28.	पाउडर दूध की पैकिंग
29.	सूखी प्रक्रिया द्वारा पेपर पिन और यू-क्लिप
30.	विद्युत मोटर और जनरेटर की मरम्मत शुष्क यांत्रिक प्रक्रिया
31.	रस्सी (कपास और प्लास्टिक)
32.	वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण निर्माण (केवल संयोजन)
33.	सौर मॉड्यूल (गैर-पारंपरिक ऊर्जा उपकरण) निर्माण इकाई
34.	सर्जिकल और चिकित्सा उत्पाद केवल संयोजन द्वारा (अपशिष्ट/उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को शामिल न करते हुए)
35.	सौर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से सभी सौर ऊर्जा उत्पादन
36.	सभी पवन ऊर्जा
37.	मिनी जल विद्युत (≤ 25 मेगावाट)
	अन्य
38.	कृषि सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं (जैसे कटाई और थ्रेसिंग)।
39.	बटन और हुक विनिर्माण इकाइयाँ।
40.	कंप्यूटर और परिधीय संयोजन इकाइयाँ।
41.	सूर्य की रोशनी में सुखाकर सिरेमिक उत्पादों का निर्माण।
42.	सामान्य नमक क्रशिंग और पैकिंग इकाइयाँ।
43.	कृषि मशीनरी और उपकरणों के वितरक।
44.	विद्युत के अलावा औद्योगिक मशीनरी और उपकरणों का वितरक।
45.	कढ़ाई का काम, ज़री का काम और सजावटी सजावट की इकाइयाँ (हाथ से)।

46.	इंजीनियरिंग कार्यशाला, मशीन की दुकान, निर्माण की दुकान, लोहार की दुकान, टर्निंग की दुकान, कटिंग की दुकान
47.	दालों और अन्य अनाजों को तलना आवश्यक
48.	विद्युत चुम्बक, पंखे, आर्मेचर, कॉइल और विद्युत-चुम्बकीय उपकरण (केवल संयोजन)।
49.	पुष्पकृषि एवं बागवानी।
50.	अंतर्देशीय जल में मछली पकड़ना।
51.	केवल निर्माण प्रक्रिया द्वारा इंजीनियरिंग प्लास्टिक से औद्योगिक वस्तुएं।
52.	जूट और प्राकृतिक फाइबर सामान बनाने वाली इकाइयाँ।
53.	जूट और मेस्टा प्रेसिंग और बेलिंग इकाइयाँ
54.	हाथ से लेस और फ्रिंज बनाना।
55.	कागज के सामान (कंटेनरों के रूप में प्रयुक्त) की विनिर्माण इकाइयाँ।
56.	पुआल, टोकरी बर्तन और विकर बर्तन की विनिर्माण इकाइयाँ।
57.	कम्बल, शॉल, कालीन, गलीचे (केवल बुनाई) की विनिर्माण इकाइयाँ।
58.	पर्स और महिलाओं के हैंडबैग की विनिर्माण इकाइयाँ। तैयार चमड़े से कलात्मक चमड़े की प्रस्तुति।
59.	हाथ से कम्बल और शॉल का निर्माण।
60.	हाथ से सूती कालीनों का निर्माण।
61.	कुटीर पैमाने पर माचिस का निर्माण।
62.	हाथ से ऊनी कालीनों का निर्माण।
63.	हाथ से रेशम कालीन का निर्माण।
64.	हाथ से दरी, दवा की थैलियाँ और गलीचे का निर्माण।
65.	रेनकोट, टोपी, कैप और स्कूल बैग का निर्माण।
66.	पर्दे, बिस्तर-कवर और फर्नीचर का विनिर्माण 0 हाथ कढ़ाई।
67.	पर्दे, बेड-कवर और फर्नीचर का विनिर्माण, हस्त मुद्रित (रंगाई और छपाई के बिना)
68.	परिधान को छोड़कर क्रोशिया से निर्मित वस्त्र वस्तुओं का विनिर्माण।
69.	टेंट और पाल आदि जैसे निर्मित कैनवास सामान का विनिर्माण।
70.	कांच की चूड़ियों का निर्माण।
71.	कांच की सजावट के टुकड़ों का विनिर्माण।

72.	जिप्सम बोर्ड का विनिर्माण।
73.	ताले का निर्माण (इलेक्ट्रोप्लेटिंग/एनोडाइजिंग के बिना)।
74.	तेल स्टोव (दबाव और गैर-दबाव) का निर्माण।
75.	बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और अन्य के लिए कैरम बोर्ड और टेबल का निर्माण।
76.	बिलियर्ड स्टिक, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, स्टंप और अन्य का निर्माण।
77.	बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस आदि के लिए रैकेट का निर्माण।
78.	बिलियर्ड्स सहित गेंदों का विनिर्माण।
79.	ब्रश/डस्टर और पंखों से बनी इसी प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण।
80.	विज्ञापन साइन-बोर्ड और डिस्प्ले आदि का विनिर्माण।
81.	खेल किट का निर्माण।
82.	बाजार की टोकरियाँ, अनाज भंडारण डिब्बे, राशन टोकरियाँ और इसी तरह के अन्य सामान का विनिर्माण।
83.	बेंत और बांस से शॉपिंग बैग, सजावटी बक्से का निर्माण।
84.	ताड़ के पत्ते, पाइन के पत्ते और खजूर के पत्ते से बनी वस्तुओं का निर्माण।
85.	बॉबिन, स्पूल, सिलाई रूलर जैसे लकड़ी के औद्योगिक उपकरणों का विनिर्माण।
86.	लकड़ी के औजारों के हैंडल का निर्माण।
87.	झाड़ू का निर्माण.
88.	लकड़ी के खिलौने, सजावट के सामान और लकड़ी के लैंप स्टैंड आदि का निर्माण।
89.	लकड़ी के कृषि उपकरणों का निर्माण।
90.	अन्य लकड़ी के घरेलू उत्पादों का विनिर्माण आवश्यक
91.	नारियल की भूसी से कॉयर वस्तुओं का निर्माण
92.	घरेलू आटा चक्की का निर्माण (बिना प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ताप उपचार के)।
93.	कांटा-चाकू, कैंची का निर्माण।
94.	चश्मे के लिए फ्रेम का निर्माण (केवल संयोजन)
95.	सभी प्रकार के धागे, डोरियाँ, सुतली आदि का निर्माण।
96.	वजन तौलने वाली मशीनों का विनिर्माण।
97.	नारियल की रस्सी और डोरी का निर्माण।
98.	जूट, मेस्टा और कॉयर सहित अन्य रस्सियों और डोरियों का विनिर्माण।
99.	जालों का निर्माण (मच्छरदानी को छोड़कर)।

100.	टेप, निवार और बत्ती आदि का निर्माण।
101.	हस्तशिल्प/सजावटी/फैंसी वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं का निर्माण
102.	मोटर रिवाइंडिंग
103.	मापने/नियंत्रण/नियमन उपकरण निर्माण इकाइयाँ
104.	फोटो फ्रेम, दर्पण फ्रेम का निर्माण।
105.	बूरा का निर्माण.
106.	स्क्रू, नट-बोल्ट आदि का निर्माण।
107.	प्रतिदिन 500 किलोग्राम तक अचार और पापड़ का निर्माण
108.	गैर-विद्युत मशीन उपकरण विनिर्माण इकाइयाँ।
109.	महासागर, समुद्र और तटीय मछली पकड़ना।
110.	निर्माण कार्यों के लिए चित्रकारी और सजावट का कार्य।
111.	शोषण द्वारा जलाऊ लकड़ी/ईंधन लकड़ी (जलाकर लकड़ी का कोयला सहित) का उत्पादन।
112.	पंप और मोटर संयोजन इकाइयाँ।
113.	सूखे चावल का प्रसंस्करण.
114.	तेल निकालने वाले को छोड़कर खाद्य मेवों का प्रसंस्करण।
115.	तेल निष्कर्षण को छोड़कर मूंगफली का प्रसंस्करण।
116.	मुद्रित पुस्तकें, नोटबुक, रजिस्टर और अन्य मुद्रित सामग्री।
117.	हाथ से कपड़े की छपाई।
118.	फलों और सब्जियों को धूप में सुखाना।
119.	सूरज की वजह से मछलियाँ मर रही हैं।
120.	कुटीर पैमाने पर नमक निर्माण।
121.	नमक उत्खनन और स्क्रीनिंग आदि।
122.	मृदा संरक्षण सेवाएँ.
123.	मृदा परीक्षण जैसी वैज्ञानिक सेवाएं।
124.	मृदा विलवणीकरण सेवाएँ.
125.	कॉयर वस्त्रों की कताई, बुनाई और परिष्करण।
126.	सन हेम्प और अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र की कताई, बुनाई और परिष्करण।
127.	ट्रांसफार्मर संयोजन इकाइयाँ.

128.	लकड़ी के काम जैसे दरवाजे, खिड़कियां और पैनल आदि लगाना।
129.	निर्माण कार्यों के लिए विद्युत स्थापना कार्य करने वाली इकाइयाँ।
130.	विभिन्न प्रकार के हस्त उपकरण निर्माण।
131.	बिना प्रशीतन के कृषि उत्पादों का भंडारण।
132.	मिलों के अलावा अन्य स्थानों पर ऊन की कताई, बुनाई और परिष्करण।
133.	सूती खादी की बुनाई और परिष्करण।
134.	अपशिष्ट कागज बेलिंग प्रक्रिया (हाइड्रोलिक प्रेस) .
135.	लकड़ी की नावों और ट्रॉलरों का बॉडी निर्माण
136.	बालों का आकार
137.	तैयार उत्पादों की पुनः पैकिंग (सूखे उत्पाद)
138.	सुरक्षा माचिस की तीलियाँ
139.	रेशम घुमाव (रंगाई और डी-गमिंग को छोड़कर)
140.	शहद प्रसंस्करण
141.	केवल खाद्य तेल का आयात और भंडारण
142.	व्यापारिक अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना कृत्रिम सुखाने और विरंजन के साथ झाड़ू का निर्माण।
143.	केवल ऑडियो, वीडियो और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असेंबली
144.	ब्यूटी पार्लर
145.	गीली प्रक्रिया के बिना बेल्ट फास्टनर इकाइयाँ
146.	बिंदी बनाने वाली इकाइयाँ.
147.	बायो गैस
148.	बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, कन्फेक्शनरी, ब्रेड, बेकरी 100 किलोग्राम/दिन तक (विद्युत/गैस ओवन/भट्टी द्वारा)
149.	चित्र धागा बाइंडिंग.
150.	विद्युत भट्टी द्वारा सिरेमिक कप और प्लेटों की सजावट
151.	कढ़ाई.
152.	मछली तालाब
153.	फ़्लोर पॉलिश, नेल पॉलिश, टूथ पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू और टूथ पेस्ट (केवल भौतिक मिश्रण द्वारा)

154.	सामान्य तार उद्योग जैसे तार खींचना, कांटेदार तार, चेन लिंक, निर्माण इकाइयाँ (गीली प्रक्रिया और ताप उपचार के बिना)
155.	विपणन/औद्योगिक परामर्श/विज्ञापन एजेंसियां
156.	नियंत्रित परिस्थितियों/तापमान में मशरूम की खेती
157.	वीडियो कैमरा-लेजर प्रिंटिंग का उपयोग करके फोटो पहचान पत्र तैयार करना
158.	रेशम उत्पादन इकाइयाँ
159.	केवल संयोजन द्वारा सौर ऊर्जा पैनल बनाना
160.	तौल पुल संयोजन
कपास, सिंथेटिक, रेशमी और ऊनी होजरी निर्माण (केवल सूखी प्रक्रिया, बिना किसी रंगाई/धुलाई प्रक्रिया के (लघु उद्योग और कुटीर उद्योग) (श्वेत श्रेणी -W-10) (162 से 744)	
161.	बिना रंगाई, छपाई के बुना हुआ सूती कपड़ा
162.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए सूती बनियान
163.	बिना रंगे बुने हुए सूती मोज़े, मुद्रण
164.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए सूती अंडरवियर
165.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए सूती शॉल
166.	अन्य सूती बुने हुए वस्त्र बिना रंगे, मुद्रण
167.	बिना रंगे, छपाई के बुना हुआ ऊनी कपड़ा
168.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए ऊनी बनियान
169.	बिना रंगे बुने हुए ऊनी मोज़े, छपाई
170.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए ऊनी स्कार्फ
171.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए ऊनी अंडरगारमेंट्स
172.	बिना रंगाई, छपाई के बुनी गई ऊनी टोपियाँ
173.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए ऊनी शॉल
174.	बिना रंगे ऊनी दस्ताने, मुद्रण
175.	बिना रंगे, छपाई के बुने हुए ऊनी मफलर
176.	अन्य ऊनी बुने हुए वस्त्र बिना रंगे, छपाई के
177.	रंगाई, मुद्रण के बिना रेशम मानव निर्मित फाइबर होजरी
178.	सिंथेटिक बुने हुए मोज़े और मोज़े बिना रंगे, मुद्रण
179.	सिंथेटिक बुना हुआ अंडरवियर जैसे दराज बिना मरने, मुद्रण

180.	सिंथेटिक बुने हुए अंडरवियर जैसे वेस्ट ब्रीफ्स बिना रंगे, मुद्रण
181.	सिंथेटिक बुना हुआ बाहरी वस्त्र जर्सी बिना रंगाई, मुद्रण और डीजी - सेट
182.	स्लिपओवर पुलओवर कार्डिगन और जैकेट
183.	सिंथेटिक बुने हुए बाहरी वस्त्र जैसे स्लिपओवर
184.	सिंथेटिक बुने हुए बाहरी वस्त्र जैसे जर्सी, स्लिपओवर
185.	सिंथेटिक बुने हुए बच्चों के कपड़े जैसे बेबी सूट
186.	सिंथेटिक बुना हुआ बच्चों के पहनने के लिए निकर फ्रॉक
187.	सिंथेटिक बुने हुए बच्चों के बाहरी वस्त्र
188.	सिंथेटिक बुने हुए बच्चों के कपड़े जैसे बेबी सूट, निकर
189.	रेशम बुनाई द्वारा निर्मित उच्च ढेर वाले कपड़े को छोड़कर सिंथेटिक बुने हुए कपड़े
190.	सिंथेटिक बुना हुआ कपड़ा जैसे स्कार्फ, मफलर
191.	सिंथेटिक बुना हुआ वस्त्र जैसे स्कार्फ शॉल
192.	सिंथेटिक बुना हुआ वस्त्र जैसे स्कार्फ कैप टाई
193.	सिंथेटिक बुना हुआ वस्त्र जैसे स्कार्फ जींस
194.	सिंथेटिक बुना हुआ वस्त्र जैसे स्कार्फ ब्लाउज
195.	सिंथेटिक बुने हुए स्विमवियर जैसे ट्यूनिक्स और कॉस्ट्यूम
196.	सिंथेटिक बुना हुआ शर्ट,
197.	सिंथेटिक बुना हुआ टी-शर्ट,
198.	सिंथेटिक बुना हुआ स्पोर्ट्स स्कर्ट
199.	सिंथेटिक बुना हुआ कॉलर शर्ट
200.	सिंथेटिक बुना हुआ नली
201.	सिंथेटिक बुना हुआ गैस मेंटल कपड़ा
202.	अन्य सिंथेटिक बुने हुए वस्त्र
203.	स्टोव विक्स
204.	रेडीमेड वस्त्र
205.	कपास बेल्टिंग
206.	बेल्ट लेसिंग
207.	मापने वाले टेप-कपास

बिजली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग के बिना लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	
208.	लकड़ी काटी
209.	लड़की के बक्से
210.	चाय की छाती प्लाईवुड
211.	अनुभवी लकड़ी
212.	लकड़ी के सिलाई मशीन कवर
213.	एए और एसीआर कंडक्टरों के लिए केबल ड्रम
214.	टेंट के खंभे
215.	लकड़ी के प्लग
216.	हैंडल- बांस
217.	हैंडल- लकड़ी
218.	सागौन निर्मित गोल ब्लॉक
219.	लकड़ी के भंडारण अलमारियाँ
220.	लकड़ी के फर्नीचर और जुड़नार
221.	लकड़ी के भंडारण अलमारियों
222.	लकड़ी के भंडारण रैक
223.	लकड़ी ऊन स्लैब
224.	लकड़ी के दरवाजे निर्माण इकाइयाँ
225.	लकड़ी की खिड़कियों के निर्माण इकाइयाँ
226.	लकड़ी की पैकिंग सामग्री
227.	लकड़ी के बक्से
228.	लकड़ी के बिजली के बोर्ड
स्टेशनरी आइटम केवल भौतिक कटिंग/असेम्बलिंग/चिपकाने द्वारा	
229.	मोमयुक्त कागज
230.	सजावटी कागज
231.	नालीदार कागज
232.	नालीदार बोर्ड
233.	कागज के बैग

234.	मिश्रित कंटेनर (बिना लेमेंट वाले)
235.	पेपर बोर्ड कार्टन (बिनां लेमेंट वाले)
236.	कागज के कप
237.	पेपर की प्लेटे
238.	कागज़ के लिफाफे
239.	नालीदार फाइबर बोर्ड कंटेनर
240.	कागज़ की सुतली के तार
241.	कागज़ की सुतली रस्सियाँ
242.	कागज़ के शंकु
243.	कागज़ की ट्यूबें
244.	पुआल
245.	कागज़ की पट्टियां
246.	पेपर फेशियल टिशू नैपकिन
247.	गोंदयुक्त टेप
248.	टेली-प्रिंटर रोल
249.	स्टैंसिल पेपर
250.	टेली-टेप रोल
251.	साधारण कागज को रोल में काटना
252.	साधारण कागज़ को शीटों में काटना
253.	टॉयलेट पेपर रोल
254.	टॉयलेट पेपर शीट
255.	कागज़ की पट्टियाँ
256.	गोंद लगे कागज़ आदि के लेबल
257.	गोंद लगे कागज़ आदि के स्टिकर
258.	उपचारित ट्रेसिंग पेपर
259.	टिकटों के लिए गोंदयुक्त कागज़
260.	टिकटों के अलावा गोंद लगे कागज़
261.	सैनिटरी तौलिया

262.	लेबल स्थानांतरित करें
263.	अभ्यास पुस्तकें
264.	व्यायाम रजिस्टर
265.	लेटर पैड
266.	फ़ाइल कवर
267.	फ़ाइल बोर्ड
268.	बॉल पॉइंट पेन
269.	पेन की निब
270.	धातु की नोकों को छोड़कर बॉल पेन के घटक
271.	धातु की नोकों को छोड़कर फाउंटेन पेन के घटक
272.	पेंसिल
273.	हाथ से स्टेपल करने वाली मशीन
274.	कागज़ के पिन
275.	कार्बन पेपर
276.	टाइपराइटर रिबन
277.	हाथ से नंबरिंग मशीनें
278.	पेंसिल शार्पनर
चमड़े की कटाई और सिलाई (W-22)(टैनिंग, प्रसंस्करण के बिना)	
279.	एकमात्र चमड़ा
280.	बन युद्ध चमड़ा
281.	केटी लेदर
282.	बैंड चमड़ा चुनना
283.	कपड़ा उद्योग के लिए चमड़ा बीनने वाले और अन्य चमड़े के सामान
284.	सब्जी से रंगी खाल अर्ध-तैयार
285.	सब्जी से रंगी हुई खाल अर्ध-तैयार
286.	क्रोम टैन्ड खाल अर्ध-तैयार
287.	क्रोम टैन्ड खाल अर्ध-तैयार
288.	बकरी की खाल से चमड़ा अस्तर

289.	भेड़ की खाल से चमड़ा अस्तर
290.	लैमिनेटेड चमड़े की बेल्टिंग
291.	हार्नेस चमड़ा
292.	चमड़े के जूते
293.	चमड़े के जूते का ऊपरी भाग बंद
294.	चमड़े के चैपल
295.	चमड़े के सैंडल
296.	चमड़े के वस्त्र
297.	चमड़े के सूटकेस
298.	चमड़े के यात्रा सामान
299.	चमड़े के हैंड बैग
300.	चमड़े के पर्स
301.	फ़ेरी चमड़े के सामान और अन्य नवीनता आइटम
302.	चमड़े की घड़ी की पट्टियाँ
303.	सभी प्रकार के चमड़े के केस और कवर
304.	औद्योगिक चमड़े के दस्ताने
305.	चमड़े के फीते
306.	चमड़े के वॉशर
इंजीनियरिंग और निर्माण इकाइयाँ (बिना किसी ऊष्मा उपचार/धातु सतह परिष्करण कार्य/पेंटिंग/वेल्डिंग के शुष्क प्रक्रिया) W-14	
307.	स्टील अलमारी
308.	खाद्य सुरक्षित-धात्विक
309.	मांस सुरक्षित-धात्विक
310.	धातु कैबिनेट- सभी प्रकार
311.	स्टील ट्रंक
312.	बिना पेंट किए टिन के कंटेनर - 18 लीटर तक की क्षमता
313.	सीआई बकेट
314.	60 लीटर तक के बैरल
315.	टिन ट्रे

316.	60 लीटर तक के ड्रम
317.	जीआई बाथ टब
318.	धूल के डिब्बे
319.	सैनिटरी फिक्स्चर - धातु
320.	सैकेट्स एंड वाल्व पानी के पाइप फिटिंग
321.	एमएस पाइप्स फिटिंग्स 100 तक
322.	एमएस स्टोरेज टैंक 15,000 लीटर तक भंडारण क्षमता
323.	प्रेशर स्टोव
324.	गैर ब्रांडेड बाती स्टोव
325.	लालटेन
326.	सिग्नल लैंप
327.	हाथ लैंप
328.	जूते के पिछले हिस्से
329.	जूते की सुराख़
330.	छाता रिब स्टैंड फिटिंग
331.	ज़िप प्लास्टरर्स, मेटालिक
332.	टिन कटर
333.	बेल्ट फास्टनरों
334.	स्नैप फास्टनरों
335.	पिलियर प्रूफ कैप्स
336.	बंदूक के मामले
337.	क्राउन कॉर्क (बंदी उपभोग को छोड़कर)
338.	धातु के दरवाजे
339.	वेंटिलेटर धातु
340.	विंडोज़ मेटालिक
341.	रोलिंग शटर
342.	लालटेन निकाय
343.	लालटेन पोस्ट

344.	एल्यूमीनियम फर्नीचर
345.	समायोज्य बिस्तर - अस्पताल
346.	लोहे और स्टील के खाट - सभी प्रकार
347.	भंडारण अलमारियाँ - लोहा और इस्पात
348.	रूक्स - सभी प्रकार
349.	विकलांगों के लिए व्हीलचेयर
350.	सभी प्रकार की स्टील कुर्सियाँ
351.	स्टील की मेजें - अस्पताल
352.	स्टील टेबल अन्य सभी प्रकार
353.	ट्रॉलियाँ - रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर पीने का पानी
354.	ट्रॉलियाँ - लौह एवं इस्पात अस्पताल
355.	स्ट्रेचर - लोहा और स्टील
356.	भंडारण डिब्बे- स्टील
357.	स्टील फर्नीचर- अन्य सभी प्रकार
358.	हैकसॉ फ्रेम्स
359.	चिमटा
360.	स्क्रू ड्राइवर
361.	स्पैनर
362.	हथौड़ा
363.	निहाई
364.	लकड़ी का काम करने वाली आरी
365.	रेन्च
366.	चाकू
367.	कतरनी ब्लेड
368.	नाखून खींचने वाली छड़ें
369.	छेनी
370.	पिंकर्स
371.	तार काटने वाला

372.	लोहार के लिए हाथ उपकरण,
373.	बढ़ईगीरी के लिए अन्य हाथ उपकरण,
374.	हाथ फोर्जिंग के लिए अन्य हाथ उपकरण,
375.	ढलाई के लिए अन्य हाथ उपकरण
376.	बोल्ट और नट - उच्च तन्यता और स्पेडल प्रकार को छोड़कर
377.	सभी प्रकार के रिवेट्स/द्विभाजित रिवेट्स सहित
378.	तार समायोजन पेंच
379.	टम्बलर ताले
380.	पैड लॉक
381.	तिजोरी/कैबिनेट के ताले
382.	दरवाज़े के ताले
383.	साइकिलों को लॉक करता है
384.	दराज के ताले और सूटकेस के ताले
385.	कुर्सियाँ टकराना
386.	पेरियन पहिए
387.	चारा काटने वाले
388.	चारा कटर ब्लेड
389.	पशु चालित उपकरण
390.	क्रो बार
391.	हल कैंची/लोहे के हल
392.	किसान
393.	डिस्क हैरो
394.	कीटनाशक डस्टर - मैनुअल
395.	कीटनाशक स्प्रेयर - मैनुअल
396.	फोर्क्स
397.	होस
398.	लेवलर्स
399.	मोवर

400.	स्टेनलेस स्टील के बर्तन
401.	पिकर- धातुई
402.	हैंडपंप
403.	बीज उपचारक
404.	हाथ के फावड़े
405.	हंसिया
406.	बीज के डिब्बे
407.	जल उठाने वाले
408.	कोडाली
409.	अन्य कृषि उपकरण
410.	तार की कीलें
411.	पैनल पिन
412.	लकड़ी के पेंच
413.	सॉकेट हेड और विशेष प्रकार के स्क्रू को छोड़कर मशीन स्क्रू
414.	गेट हुक
415.	जूते के नाखून जानवर
416.	हॉब कीलें
417.	बिल्डर्स हार्डवेयर
418.	धातु वाशर
419.	कांटेदार तार
420.	कांच जैसा तामचीनी खोखला
421.	चम्मच-कटलरी
422.	कांटे - कटलरी
423.	टेबल चाकू/घरेलू चाकू
424.	ब्रेड कटर
425.	अन्य कटलरी आइटम
426.	घरेलू बर्तन - पीतल
427.	घरेलू बर्तन - बेल/धातु

428.	घरेलू बर्तन बेल / धातु
429.	घरेलू बर्तन - तांबा
430.	घरेलू बर्तन लोहा
431.	घरेलू बर्तन - चांदी
432.	घरेलू बर्तन - कांसे
433.	घरेलू बर्तन-जर्मन
434.	गैस उपकरण जैसे ओवन आदि
435.	गैस लाइटर-मैकेनिकल
436.	छुरा
437.	बकसुआ
438.	घड़ी के पट्टे - धातुई
439.	बीम स्केल
440.	डाक तौल तराजू
441.	विस्तारित धातु
442.	वेल्डेड तार धातु इकाइयाँ
443.	तार गेज धातु
444.	धातुई तार जाल
445.	इस्पात की पतली तारें
446.	हेयर पिन
447.	चमड़े के सामान के लिए धातु की फिटिंग धातु की फिटिंग और वस्त्र
448.	कपड़ों के लिए धातु की फिटिंग
449.	घमेलास
450.	लोहार की भट्टियाँ
451.	पीतल के डैम्पर्स
452.	मापने वाले टेप स्टील
453.	लैंप होल्डर
454.	5 एचपी तक की प्रेरक शक्ति वाले विनोवर
455.	5 HP तक के प्रेरक शक्ति वाले थ्रेशर क्या और कैसे बढ़ते हैं?

456.	बीज क्लीनर - 5 एचपी तक की प्रेरक शक्ति
457.	अनाज सूखता है - 5 एचपी प्रेरक शक्ति तक
458.	5 एचपी तक की प्रेरक शक्ति वाले शैल हस्कर
459.	5 एचपी तक की प्रेरक शक्ति वाले रीपर
460.	कपास सिलने की मशीन
461.	बीज ड्रिल
462.	अन्य कृषि मशीनरी
463.	कृषि मशीनों में प्रयुक्त हार्वेस्टर ग्रेडर, बेलर और अन्य मिट्टी हटाने वाले ब्लेड
464.	कृषि मशीनों में उपयोग के लिए कम जगह वाला उपकरण, कच्चे लोहे से बने हल्के स्टील के थ्रेशर
465.	15 एचपी स्टोन स्पीड तक के डीजल इंजन
466.	दाल मिल मशीनरी
467.	चावल मिल मशीनरी
468.	तेल क्रशर
469.	तेल कोल्हू के पुर्जे
470.	कपास ओटने के चाकू
471.	चाय काटने वाले चाकू
472.	तीन चाकू, ट्रिमर और लिफाफा
473.	चमड़ा उद्योग के लिए क्लिकिंग चाकू
474.	माचिस उद्योग के लिए काटने वाले चाकू और लैंसेट
475.	इलास्टिक कतरन और दानेदार बनाना, चाकू
476.	चाकू और कतरने वाले ब्लेड (धातु कागज बांस सहित सभी प्रकार के)
477.	डॉक्टर ब्लेड
478.	स्टेनलेस स्टील रिफाइनर / बार चाकू
479.	5 मीटर क्षमता तक के कंक्रीट मिक्सर
480.	लकड़ी के लट्ठों को काटने के लिए बेंड आरी ब्लेड
481.	रूम कूलर रेगिस्तान प्रकार
482.	एयर कंडीशनिंग डक्टिंग लूवर, ग्रिल और अन्य शीट निर्माण
483.	10 सेमी x 10 सेमी आकार तक के केन्द्रापसारक पंप

484.	स्प्रे पेंटिंग मरम्मत की दुकानों के लिए HP तक के एयर कंप्रेसर
485.	रसायन और चीनी उद्योगों में प्रयुक्त इलेक्ट्रो-फॉर्म्ड स्क्रीन/लाइनर
486.	हाथ से थ्रेडिंग वाले नल धारक
487.	12 मिमी ड्रिलिंग मशीन 1000 आरपीएम तक बेंच और पेडस्टल प्रकार
488.	टर्निंग, बोर्डिंग और ट्रेडिंग छोटे एकल या एकाधिक ऑपरेशन उपकरणों के रूप में जोड़ें
489.	500 मिमी व्यास तक पंच ग्राइंडर
490.	पावर हैकसॉ मैकेनिकल 300 मिमी ब्लेड
491.	स्क्रू प्रेस (मैन्युअल रूप से संचालित)
492.	हैंड प्रेस (मैन्युअल रूप से संचालित)
493.	शीतलक पंप आदि
494.	स्टीडीज़
495.	कुत्ते की प्लेटें
496.	मशीन उपकरण, मशीन उपकरण
497.	कार्बाइड टिप वाले उपकरण, एकल बिंदु ब्रेज़्ड कार्बाइड बिट्स, निर्माताओं से खरीदे गए
498.	तौल मशीनें
499.	साधारण तौल पुल
500.	फ़ाइल तंत्र
501.	सिलाई मशीन, घरेलू हस्तचालित, पारंपरिक प्रकार
502.	घरेलू बुनाई मशीन
503.	जैविक और वातानुकूलन अनुप्रयोगों के लिए निरपेक्ष फिल्टर
504.	डुप्लिकेटिंग मशीनें - विशेष प्रकार की मशीनों के अलावा
505.	बोतल धोने
506.	डबल कैन मिक्सर - डेयरी उपकरण
507.	माइक्रो पल्वराइज़- डेयरी उपकरण
508.	रोटरी ड्रायर- डेयरी उपकरण
509.	बास्केट प्रकार के सेंट्रीफ्यूज
510.	दूध ठंडा करने और घी जमा करने के उपकरण- डेयरी उपकरण

511.	वाष्पीकरण पैन - डेयरी उपकरण
512.	मक्खन बनाने का उपकरण - डेयरी उपकरण
513.	दही मिल-डेयरी उपकरण
514.	एजिटेटर - डेयरी उपकरण
515.	डेयरियों के लिए भंडारण टैंक
516.	सभी पोल्ट्री उपकरण
517.	ट्रैक्टर ट्रॉलर का निर्माण
518.	कास्टिंग इकाइयाँ - पिट फर्नेस का उपयोग करके
519.	स्टील के दरवाजे और शटर निर्माण इकाइयाँ
विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का संयोजन (पूर्णतः शुष्क प्रक्रिया) (W-13)	
520.	हेयर ड्रायर सभी प्रकार
521.	170 लीटर क्षमता तक के एक्सप्रेस कॉफी मेकर
522.	5 किलोवाट तक के इमर्शन वॉटर हीटर
523.	500 वाट तक के फ़ूड वार्मर ट्रे
524.	ब्रेड टोस्टर साधारण/सेमी ऑटो, 6 स्लाइस तक
525.	घरेलू रेफ्रिजरेटर के साथ उपयोग के लिए आइसक्रीम मेकर कैप 1 लीटर
526.	स्विच, प्लग और सॉकेट के अलावा विद्युत वायरिंग सहायक उपकरण
527.	विद्युत प्रकाश फिटिंग चोक
528.	19 स्ट्रैंड तक एए कंडक्टर
529.	19 स्ट्रैंड तक के ACSR कंडक्टर
530.	कार्बन ब्लैक से निर्मित कार्बन ब्रश
531.	आपातकालीन लैंप
532.	विद्युत प्रकाश फिटिंग स्टार्टर
533.	काले चिपकने वाला इन्सुलेशन टेप विद्युत उपयोग
534.	100 एम्प्स तक के धातु आवरण वाले स्विच
535.	रेडियो/कार रेडियो, प्रत्येक 250 रुपये तक की कम कीमत
536.	टीवी एंटीना
537.	इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर को छोड़कर टीवी ट्यूनर

538.	टीवी गेम्स
539.	कारतूस उठाओ
540.	टीवी बूस्टर एम्पलीफायर
541.	रेडियो और टीवी कॉइल
542.	मनोरंजन के लिए एम्पलीफायर
543.	सार्वजनिक पता सूची
544.	लाउडस्पीकरों की असेंबली
545.	500 वोल्ट एम्पीयर तक के इन्वर्टर और कन्वर्टर
546.	विनियमित डीसी कम आपूर्ति 001% विनियमन तक
547.	इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक
548.	डिमर्स और ट्वाइलाइट स्विच
549.	डिजिटल घड़ियाँ
550.	व्यावसायिक प्रकारों के अलावा अन्य तार-घुमावदार प्रतिरोधक
551.	रेडियो रिसीवर के लिए टेलीस्कोपिक एरियल
552.	बैटरी एलिमिनेटर
ऑटो पार्ट्स, घटक और सहायक उपकरण और गैराज उपकरण (केवल संयोजन)	
553.	सन शेड्स- ऑटो
554.	साइड लैंप असेंबली-ऑटो
555.	स्पॉट लैंप असेंबली-ऑटो
556.	स्टॉप लैंप असेंबली-ऑटो
557.	टेल लैंप असेंबली-ऑटो
558.	ऐश ट्रे-कार फिटिंग
559.	बैटरी सेल परीक्षक
560.	विद्युत फ्यूज बॉक्स-ऑटो
561.	विद्युत फ्यूज-ऑटो
562.	एग्जॉस्ट मफलर-डबल कॉइल एग्जॉस्ट मफलर के अलावा अन्य ऑटो
563.	ईंधन टैंक कैप-ऑटो
564.	ईंधन लाइनें-ऑटो

565.	आर्मेचर परीक्षक
566.	बैटरी टर्मिनल लिफ्टर्स
567.	कंडेनसर परीक्षक
568.	प्रतिरोध परीक्षक
569.	फेमर्स चम्मच और हथौड़े
570.	फीलर गेज
571.	फ्लेयरिंग उपकरण
572.	गियर फ्लशर्स
573.	सभी प्रकार के खींचने वाले
574.	रिंग विस्तारक
575.	रिंग कम्प्रेसर
576.	स्क्रू एक्सट्रैक्टर
577.	स्पार्क प्लग क्लीनर
578.	स्पार्क प्लग परीक्षक
579.	स्टड रिमूवर - एक्सट्रैक्टर
580.	टो इन गेज
581.	टायर वाल्व पुलआउट उपकरण
582.	ट्यूब कटर
583.	फ्लैंगिंग उपकरण
584.	वाल्व लिफ्टर्स
585.	वाल्व बदलने और रीसेट करने के उपकरण
586.	कैम्बर परीक्षण उपकरण
587.	पेंटिंग उपकरण जैसे स्प्रे गन आदि
588.	ग्रीस गन
589.	टायर इन्फ्लेटर - हाथ और पैर से संचालित
590.	इलेक्ट्रिक हॉर्न-ऑटो
591.	ऑटो रबर घटक और निम्नलिखित
592.	ब्रेक पैडल,

593.	क्लच पैडल
594.	धूल कवर
595.	वाइपर ब्लेड घटक
596.	विंडस्क्रीन बीडिंग
597.	दरवाजा
598.	रबर बीडिंग
599.	रबर मैट
600.	स्पोक और निप्पल - काऊएज्ड प्रकार के अलावा अन्य ऑटो-साइकिल
601.	सन वाइज़र-ऑटो
साइकिल, शिशु गाड़ी और अन्य छोटे गैर-मोटर चालित वाहनों की असेंबली (W-2)	
602.	साइकिल फ्रेम
603.	बीबी एक्सल
604.	बीबी कप
605.	बीबी शैल्स
606.	साइकिल ट्यूब वाल्व
607.	साइकिल संभालता है
608.	बोल्ट और स्टड और स्क्रू- सभी प्रकार की साइकिलें
609.	घंटियाँ-साइकिलें
610.	कैरियर साइकिलें
611.	चेन साइकिल
612.	चेन-पहिए और समायोजक
613.	चेन कवर
614.	शंकु कवर
615.	कोटर पिन चक्र
616.	क्रैंक शाफ्ट चक्र
617.	क्रैंक फोर्जिंग-चक्र
618.	विकसित बाहरी आवरण
619.	डी नट-चक्र

620.	अलविदा बोल्ट कप-साइकिल
621.	कांटा हैंडल-साइकिल
622.	कांटा हैंडल-साइकिल
623.	फ्रेम कॉलर-साइकिल
624.	गाइड पिन चक्र
625.	हैंडल बार ग्रिप्स
626.	हब ऑयल क्लिप-साइकिल
627.	हब आउटपुट साइकिल
628.	साइकिल के लॉक नट और रिंग
629.	सभी प्रकार के लग्स-साइकिल
630.	मडगार्ड-साइकिल
631.	लैंप ब्रैकेट-साइकिल
632.	पेडल असेंबली चक्र
633.	सैडल साइकिल
634.	शैकल रिवोट-साइकिल
635.	स्टैंड-साइकिल
636.	स्पोक और निप्पल साइकिल
637.	हब और कप-साइकिल
638.	रिम्स-साइकिल कैप्टिव उपभोग को छोड़कर
639.	फ्री व्हील को छोड़कर अन्य साइकिल पार्ट्स और सहायक उपकरण
640.	तिपहिया साइकिलें
641.	ट्राइसाइकिल - पुर्जे और सहायक उपकरण
642.	बच्चागाड़ी
643.	पेरम्बुलेटर के पुर्जे और सहायक उपकरण
कृषि उपकरण - हस्तचालित उपकरण और पशुचालित उपकरण, जो केवल निर्माण द्वारा बनाए जाते हैं और सतह उपचार से मुक्त होते हैं	
644.	पशु-चालित गाड़ी की फिटिंग, टोंगा पार्ट्स और व्हीलिंग
645.	हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी की फिटिंग, टोंगा के पुर्जे और पहिए लगाना
646.	पहिएदार गाड़ियाँ

647.	पशु-चालित वाहन
648.	**सभी प्रकार के हाथ से खींचे गए भाग**
वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण निर्माण (W-33)	
649.	चेन लाइन बेस मापने वाला उपकरण
650.	क्रॉस स्टाफ
651.	कम्पास/प्रिज्मीय
652.	परकार
653.	ड्राइंग बोर्ड
654.	डम्पी स्तर
655.	ड्राइंग उपकरण इंजीनियरिंग
656.	विकर्ण तराजू
657.	इंजीनियर स्तर
658.	इंजीनियरिंग तराजू
659.	फ्रांसीसी कोनों
660.	घाट और रीड ट्रेसर
661.	वैकल्पिक वर्ग
662.	protractors
663.	समतल मीटर
664.	प्लेन टेबल उपकरण
665.	रेंजिंग रॉड्स
666.	सपाट नियम
667.	गुनिया
668.	स्लाइड नियम
669.	षष्ठक
670.	त्रिकोणीय तराजू
671.	टी
672.	टी-स्कवार
673.	नली का व्यास

674.	कार्यालयों के डिजाइन और ड्राइंग के लिए ड्राफ्टिंग मशीन
675.	डिलाइट्स को छोड़कर अन्य ड्राइंग गणितीय और सर्वेक्षण उपकरण
676.	ड्राइंग उपकरण निर्माण इकाइयाँ
677.	सर्वेक्षण उपकरण निर्माण इकाइयाँ
678.	वैज्ञानिक उपकरण निर्माण इकाइयाँ
खेल के सामान (मैन्युअल प्रक्रिया)	
679.	सभी प्रकार के खेल जाल
680.	शटल कुक
681.	हॉकी खेलने की छड़ी
682.	खेल के लिए सुरक्षात्मक उपकरण, जैसे पैड, दस्ताने आदि, मुलायम चमड़े के सामान
683.	डम्बल और चेस्ट एक्सपैंडर
684.	क्रिकेट और हॉकी गेंदें
685.	फुटबॉल, वैली बॉल और बास्केट बॉल कवर
घड़ियाँ और घड़ियाँ	
686.	टेबल घड़ियाँ पेंडुलम प्रकार की, दोनों यांत्रिक गति के साथ, ट्रांजिस्टरकृत गति के साथ, लीवर प्रकार की घड़ियों को छोड़कर
687.	दीवार घड़ियाँ, पेंडुलम प्रकार की घड़ियाँ, दोनों यांत्रिक गति के साथ, लीवर प्रकार की घड़ियों को छोड़कर ट्रांजिस्टरकृत गति के साथ
688.	टाइम-पीस, पारंपरिक अलार्म के साथ मैकेनिकल वाइंडिंग
689.	सजावटी उच्च मूल्य वाले डायल को छोड़कर घड़ी के डायल सरल डायल
690.	कास्ट पीतल घड़ी केस पॉलिश और चढ़ाया हुआ
अन्य सामान केवल भौतिक संयोजन द्वारा	
691.	छाते
692.	स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम को जीवाणुरहित करता है
693.	माइक्रोस्कोप-छात्र और चिकित्सा उपयोग
694.	जल मीटर
695.	द्रव स्तर नियंत्रक (इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर)
696.	रिक्त स्थानों से नेत्र लेंस
697.	फोटो ग्राफिक एन्लार्जर

698.	स्लाइड और ओवरहेड सहित प्रोजेक्टर, लेकिन प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर को छोड़कर
699.	तार ब्रश
700.	पेंट ब्रश
701.	बाल ब्रश
702.	फाइबर ब्रश
703.	टूथब्रश
704.	ब्रश प्राकृतिक ब्रिसल्स
705.	अन्य ब्रश
706.	यांत्रिक खिलौने
707.	यांत्रिक खिलौने जीते
708.	कफ़लिंक
709.	टाई पिन
710.	धातुई पोशाक बकल
711.	सेट करने योग्य टिका
712.	शोषक कपास
713.	सिगरेट लाइटर
714.	हीरा काटना और पॉलिश करना
अन्य इकाइयाँ	
715.	संगीत वाद्ययंत्र (संयोजन)
716.	रेनकोट्स
717.	हाथ करघे से बुनाई (बिना रंगाई के)
718.	यार्न ट्विस्टिंग, क्रिपिंग और टेक्सचराइजिंग इकाइयाँ
719.	फाइबर-ग्लास मोल्डिंग (विद्युत भट्टी)
720.	मोमबत्तियाँ निर्माण
721.	सुगंध छड़ियों का निर्माण
722.	घरेलू आटा चक्की
723.	मसाला मिलें (मसाला) 05 एचपी तक
724.	खिलौने (हस्तशिल्प)

725.	ऑप्टिकल फ्रेम
726.	विद्युत लैंप (बल्ब) निर्माण (पारे का उपयोग किए बिना)
727.	बांस और बेंत उत्पाद (केवल सूखे संचालन)
728.	सिंथेटिक रबर और फोम (केवल मोल्डिंग)
729.	पत्थर की नक्काशी
730.	पावर प्रेस
731.	स्वयं उपयोग के लिए गुड निर्माण इकाइयाँ (बॉयलर के बिना)
732.	मिश्रण के माध्यम से इत्र निर्माण
733.	कपड़े को काटकर और सिलाई करके पट्टी बांधें, किसी रासायनिक उपचार का प्रयोग न करें।
734.	सभी प्रकार की झाड़ू
735.	क्विट्स, रज़ाईस आदि
736.	(क) 2,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र तक भवन एवं निर्माण परियोजनाएं (ख) 01 हेक्टेयर तक भूमि/क्षेत्र विकास परियोजनाएं
737.	2,000 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्रफल और डीजी सेट क्षमता < 15 केवीए तक की आईटी परियोजनाएं
738.	केवल शुष्क दबाव द्वारा जैव/कृषि अपशिष्ट आधारित ब्रिकेट
739.	वस्त्र सिलाई/वस्त्र निर्माण/टेलरिंग
740.	सोने और चांदी के धागे से बनी ज़री की कारीगरी
741.	रेडियो असेंबलिंग
742.	जूते के फीते का निर्माण, परिधान निर्माण
743.	1 एमवीए से कम कुल क्षमता वाले स्टैंडअलोन जेनसेट
744.	प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (यूसीओ) संग्रह केंद्र
745.	रेलवे स्टेशन (अपशिष्ट जल उत्पादन <100 KLD)
746.	10 से कम कमरों वाले होटल
747.	बॉयलर के बिना मशीनीकृत कपड़े धोने की व्यवस्था (अपशिष्ट जल < 5 KLD)।
748.	सीमेंट उत्पाद (एस्बेस्टस का उपयोग किए बिना) जैसे पाइप, खंभा, जाफरी, कुआं रिंग, ब्लॉक/टाइलें आदि (<1 टीपीडी)
749.	आसुत जल (बॉयलर के बिना) ऊष्मा के स्रोत के रूप में विद्युत सहित (< 1 KLD)

750.	कॉयर फाइबर/पिथ प्रसंस्करण और/या कॉयर से कॉयर उत्पादों का विनिर्माण (केवल शुष्क प्रक्रिया)
751.	कार्डबोर्ड या नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (कागज या लुगदी विनिर्माण को छोड़कर और बॉयलर का उपयोग किए बिना)
752.	भौतिक मिश्रण द्वारा 1000 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता तक कंक्रीट मिश्रण का एकल विनिर्माण (बॉयलर और रिएक्टर के बिना और अपशिष्ट जल का उत्पादन नहीं)
753.	साबुन निर्माण (हस्तनिर्मित - भाप/बॉयलर के बिना)
754.	विद्युत (मोटर चालित) मशीनों जैसे विद्युत वुड प्लानर, स्टील आरी कटिंग सर्कुलर ब्लेड आदि की सहायता से स्प्रे पेंटिंग के बिना (आरा मिल को छोड़कर) बढ़ईगीरी और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण।
755.	स्प्रे पेंटिंग के बिना स्टील फर्नीचर
756.	कोल्ड रोलिंग मिल (बिना ताप उपचार के)
757.	तार खींचना और तार जाल लगाना (बिना अचार और बिना ताप उपचार के)
758.	टायर रिट्रेडर्स
759.	संग्रहण केंद्र (प्रदूषण-निवारण, विघटन और कतरन के बिना)
760.	डिजिटल थर्मामीटर निर्माण
761.	परिधान और परिधान विनिर्माण उद्योग जिसमें दोहरीकरण / रीलिंग / टीएफओ-दो शामिल हैं। एक इकाई के लिए (शुष्क प्रक्रिया) - बिना बॉयलर के
762.	रेलवे साइडिंग केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए
763.	जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों पर आधारित घरेलू जैव-पाचक/गोबर-गैस (गाय-गोबर) संयंत्र आदि।
764.	सीबीजी संयंत्र फ़ीड स्टॉक के बावजूद- एमएसडब्ल्यू, कृषि-अवशेष, ऊर्जा फसलें/घास/खरपतवार, पशु अपशिष्ट, प्रेस मड, आदि (औद्योगिक/प्रक्रिया अपशिष्ट के अलावा), किसी भी अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं करना और उप-उत्पादों का उत्पादन करना- (i) किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम)/समृद्ध खाद और/या (ii) बिजली का उपयोग करके ब्रिकेट/पेलेट। [i क्रमशः राजपत्र अधिसूचना संख्या 2051 दिनांक 14.07.2020 और संख्या 1972 दिनांक 01.06.2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप एफओएम और एलएफओएम उत्पादन और/या उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 द्वारा शासित समृद्ध खाद, समय-समय पर संशोधित, ii.

	संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी)/बायो-सीएनजी संयंत्र और घरेलू बायो-डाइजेस्टर के लिए सीपीसीबी के पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित, का पालन किया जाना है।]
765.	अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के परिसर में स्थित बीओओ/बीओओटी/बीओटी, मोड आदि पर इलेक्ट्रोलिसिस (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके) के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग से प्राप्त डी-मिनरलाइज्ड पानी और अन्य उपयोगिताओं (कूलिंग टॉवर, ईटीपी, आदि) का सीधे उपयोग करना (जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कैप्टिव पावर प्लांट के बिना)
766.	जूट से उत्पादों का निर्माण (बिना रंगाई/बिना बॉयलर के)
767.	फ्लेक्स/विनाइल, पीवीसी आदि पर डिजिटल प्रिंटिंग (5 मशीनों से कम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र. यूडीएच–03–0260–2025–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक यूडीएच–03–0260–2025–अठारह–5, दिनांक 17 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंड़के, अवर सचिव.

Bhopal, the 17th September 2025

NOTICE

No. UDH-3/0260/2025/18-5:- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by section 85 read with sub-section (3) of section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person(s), with respect to said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Government.

Draft of Amendment

In the said Rules, -

(1) In rule 36, in table of Land use classification after S.N. (10) the following shall be inserted, namely: -

S.N.	Land Use Zone	Land Use Sub-Zones	Nomenclature
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Mixed Use	Mixed Use	(M)
12.	Transit Oriented Development	Transit Oriented Development Area	(TOD)

[Note:

1. **"Mixed Use"** means carrying out ;
   - (i) commercial and public/semi-public activities in residential areas,
   - (ii) residential and public/semi-public activities in commercial areas,
   - (iii) residential and commercial activities in public/semi-public areas and;
   - (iv) in designated mixed-use areas of development plan, residential, commercial and public/ semi-public activities may be carried out."

2. **"Transit Oriented Development Area"** means such area which has been mentioned as buffer of node/ corridor of Mass Rapid Transit System (MRTS) in the respective development plans and shall include high density residential, mixed uses and walk to work environment.

Notwithstanding anything contained in these rules, the FAR utilization in TOD area, may be achieved as mentioned in differential bye laws of Local Area Plans / Zonal Plans of the specified areas."

(2) In rule 37, sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

(1) "Permitted use of premises in land use classification.- Subject to other provisions of this rule, following Industries shall be restricted in Residential and Commercial Use Zones, -

(i) The categorization of industries listed in Appendix-F shall be red, orange, green, white, and blue categories or as notified by the Madhya Pradesh Pollution Control Board from time to time."

(ii) Industries categorized under red, orange and green (notified by the Madhya Pradesh Pollution Control Board) shall not be permitted in residential use zones.

(iii) Industries categorized under red, and orange (notified by the Madhya Pradesh Pollution Control Board) shall not be permitted in commercial use zones.

(3) In sub-rule (2) of rule 42, Column Number 6 of table (5) shall be Omitted.

(4) In sub-rule (3) of rule 48, following shall be substituted namely:-

(3) Development Norm for Industrial Plots shall be as follows: -

Development Norm for Industrial Plots

Sr. No.	Minimum Plot Area	Minimum MOS in meters			Max. Floor Area Ratio (FAR)
		Front	Side/Side	Rear	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Upto 0.045 Hect.	3.20	2.10/2.10	2.10	1.50
2	More than 0.045 Hect. and upto 0.10 Hect.	4.50	3.00/3.00	3.00	1.50
3	More than 0.10 Hect. Andupto 0.20 Hect.	7.50	3.75/3.75	4.50	1.25
4	More than 0.20 Hect. and upto 0.50 Hect.	9.00	4.50/4.50	4.50	1.25

5	More than 0.50 Hect. and upto 0.75 Hect.	12.0	6.00/6.00	6.00	1.25
6	More than 0.75 Hect. and upto 1.00 Hect.	15.0	7.50/7.50	7.50	1.25
7	More than 1.00 Hect. and upto 1.25 Hect.	18.0	9.00/9.00	9.00	1.25
8	More than 1.25 Hect. and upto 2.00 Hect.	21.0	10.50/10.50	10.50	1.25
9	More than 2.00 Hect.	24.0	12.00/12.00	12.00	1.25
For Flatted Industries					
10	Minimum Plot Area 1500 Sq.m(0.15 Hect.)	12	7.50/7.50	7.50	2.00

Note :-

1. MOS mentioned in column No. 3, 4 and 5 are minimum. In case of industrial building of more than one floor, Front MOS shall be equal to half of the proposed height of building, similarly side MOS shall be equal to one third of the proposed height of building.
2. The State Government may relax above norms on the recommendation of the Industries Department after considering the merits of case.
3. Hazardous Industries / Polluting Industries or Industries which require sanction under Factory Act, clearances shall have to obtained under Industrial Health and Safety and/or under Environment Protection Act as the case may be.

(5) Clause (ii) of sub-rule (1) of rule 53, shall be substituted by the following clause namely:

"(ii) the norms of plot size for EWS/LIG and Affordable Housing shall be as provided in Appendix-J."

(6) In Appendix-I-1,Table of clause I(3) sub clause (a) in column (3) S.No. 7, @ 75 sq.m. builtup shall be substituted with @ 100 sq.m. builtup.

(7) In Appendix-J, the title of the table of clause J-2 (2), the following shall be substituted, namely:

"RECOMMENDED DENSITY OF AFFORDABLE HOUSING, INCLUDING LOW INCOME HOUSING (ECONOMICALLY WEAKER SECTION AND LOWER INCOME GROUP)."

(8) Appendix-F, (Rule 37(1)) shall be substituted, namely: -

APPENDIX–F
[See rule 37(1)]

Categories of Industries shall be as following :-

Red Category

S.N.	Industries/activities/projects/products
1.	Manufacturing of Automobiles (integrated facilities)
2.	Asbestos and asbestos based industries
3.	AAC bricks/blocks manufacturing using coal as fuel (12 TPD and above)
4.	Manufacturing of Non-alcoholic Bevarages (Wastewater generation ≥ 100 KLD)
5.	Lead-acid Battery manufacturing (excluding assembling and charging of lead acid Battery in micro-scale)
6.	Carbon black manufacturing
7.	Industrial carbon including electrodes & graphite blocks and calcined pet coke
8.	Basic inorganic chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacturing of acid
9.	Phosphorous and its compounds, including phosphorous rock processing
10.	Chlorates, per-chlorates & peroxides
11.	Chlorine, fluorine, bromine, iodine, and their compounds
12.	Coke oven plant, coal liquefaction, coal tar distillation and fuel gas- making
13.	Cement Plants With co-processing with CPP (Captive Power Plant)
14.	Cement Plants With co-processing without CPP
15.	Cement Plants Without co-processing with CPP
16.	Cement Plants Without co-processing without CPP
17.	Stand-alone grinding units with CPP
18.	Chlor alkali
19.	Chlor alkali using washed salt
20.	Chlor alkali using cleaner/gaseous fuel
21.	Ceramics/Glass/Earthen potteries and tile manufacturing using coal/oil fired kilns (fuel consumption: 12 TPD and above)
22.	Dyes, Dye Intermediates and Pigments produced by chemical synthesis
23.	Natural Dye and Pigments requiring acidic/alkaline/solvent extraction
24.	Synthetic detergents and soaps (wastewater generation> 100 KLD)
25.	Distillery (Molasses based)
26.	Distillery (Grain based)
27.	Distillery (Grain based) with Distiller's Dried Grains with Soluble (DDGS) as by-product

28.	Standalone yeast manufacturing units
29.	Breweries and malteries industry (with fermentation)- Wastewater generation ≥ 100 KLD
30.	Manufacturing of Explosives, detonators, fuses, etc.
31.	Synthetic fibres-PSF & PFY, generated from petrochemical
32.	Synthetic fibres including rayon, tyre cord, viscose filament yarn/staple fibre, acrylic fibres
33.	Synthetic fibres including rayon, tyre cord, viscose filament yarn/staple fibre, acrylic fibres using cleaner/gaseous fuel
34.	Fertilizers (Urea)
35.	Fertilizers (Calcium Ammonium Nitrate/Ammonium Nitrate)
36.	Fertilizers (NPK)
37.	Fertilizers (Straight Phosphatic Fertilizers)
38.	Manufacturing of glue and gelatin using coal/liquid fuel
39.	Integrated unit for production of Ammonia through Hydrogen generated by pyrolysis/gasification (Without Captive Power Plant using fossil fuel)
40.	Integrated unit for production of ammonia through Hydrogen generated by electrolysis using renewable energy (capacity ≥ 15 TPD)- (Without Captive Power Plant using fossil fuel)
41.	Hydrogen production through pyrolysis/gasification (Without Captive Power Plant using fossil fuel)
42.	Hazardous waste pre- processing/processing facility including spent acid processing, spent solvent recovery, etc.
43.	Milk processes and dairy products (integrated project)
44.	Dairy and dairy products (Small scale units), using coal/biomass as fuel (Wastewater generation ≥ 100 KLD)
45.	Open-cast coal mining
46.	Underground coal mining
47.	Mining of major minerals and ore beneficiation
48.	Integrated iron and steel plants
49.	Stand-alone sintering/palletisation
50.	Sponge iron with CPP (Captive Power Plant)
51.	Sponge iron without CPP
52.	Stand-alone coke oven gas plants
53.	Aluminium Refinery
54.	Aluminium Smelter
55.	Copper Smelter
56.	Zinc smelter
57.	All Ferrous and Non-ferrous metal secondary processing/reprocessing units involving different furnaces through melting, refining, casting, alloy-making (using coal/liquid fuels)

58.	Industry or process involving metal surface treatment or process such as pickling /electroplating/paint stripping/ heat treatment using cyanide bath/ phosphating or finishing and anodizing /enamellings/ galvanizing
59.	Rolling and pickling
60.	Wire drawing and wire netting (with pickling)
61.	Organic chemicals including halogenated hydrocarbons (using solid/liquid fuel)
62.	Organic chemicals including halogenated hydrocarbons (using cleaner fuel)
63.	Oil and gas extraction (offshore & onshore extraction through drilling wells), Coal Bed Methane (CBM) drilling and shale gas, including group gathering stations (GGS), etc.
64.	Power plants based on coal
65.	Power plants based on liquid fuels
66.	Biomass-based power plants
67.	Nuclear energy-based power plants (> 220 MW)
68.	Manufacturing of bleached chemical pulp, papers, and paperboards (Agro & wood)
69.	Unbleached or Totally Chlorine Free (TCF) bleaching for manufacturing of chemical pulp, papers, and paperboards (Agro & wood)
70.	Bleached grades of chemical pulp, paper, and paperboard having Totally Chlorine Free (TCF) bleaching (Agro & wood)
71.	Recycled fibre/waste paper based Pulp & Paper (With bleaching)
72.	Recycled fibre/waste paper based Pulp & Paper (Without bleaching, capacity ≥15 TPD)
73.	Manufacturing of solvent- based paints/varnish
74.	Manufacturing of water- based paints
75.	Manufacturing of powder coatings
76.	Pesticide technical (organic chemicals based)
77.	Pesticide technical (inorganic chemicals based like Zinc Phosphide and Aluminium Phosphide)
78.	Pesticide formulation industries (Liquid formulation only) having boiler/thermopack
79.	Pesticide formulation industries (having both liquid and dry formulation or dry formulation only) without having boiler /thermopack
80.	Pesticide formulation industries (having both liquid and dry formulation or dry formulation only) having boiler / thermopack
81.	Petroleum oil refineries
82.	Petrochemicals (Naphtha cracker.)
83.	Petrochemicals (Gas cracker)
84.	Petrochemicals (without cracker)
85.	Petrochemicals (without cracker and using cleaner/gaseous fuel)
86.	Pharmaceuticals manufacturing
87.	Pharmaceuticals manufacturing using cleaner/gaseous fuel
88.	Refractories based on coal/liquid fuel (fuel consumption: 12 TPD and above)
89.	Synthetic resins manufacturing

90.	Industries engaged in Recycling/Reprocessing/ Recovery/Reuse Of Hazardous Waste Under Schedule Iv Of H&OW (M & TBM) Rules,2016 - Items, Namely, Spent Catalysts Containing Nickel, Cadmium, Zinc, Copper, Arsenic, Vanadium, And Cobalt, Including Dry Battery (Except Lead), And Cleared Metal Catalyst.- Hydro & pyro metallurgy
91.	Industries engaged in Recycling/Reprocessing/ Recovery/Reuse Of Hazardous Waste Under Schedule Iv Of H&OW (M & TBM) Rules, 2016 - Items, Namely, Spent Catalysts Containing Nickel, Cadmium, Zinc, Copper, Arsenic, Vanadium, And Cobalt, Including Dry Battery (Except Lead), And Cleared Metal Catalyst.- Hydro & pyro metallurgy (using cleaner/gaseous fuels & without crushing of materials)
92.	Industries engaged in Recycling/Reprocessing/ Recovery/Reuse Of Hazardous Waste Under Schedule Iv Of H&OW(M & TBM) Rules, 2016 - Items, Namely, Spent Catalysts Containing Nickel, Cadmium, Zinc, Copper, Arsenic, Vanadium, And Cobalt, Including Dry Battery (Except Lead), And Cleared Metal Catalyst.- Pyro metallurgy (using coal/liquid fuels)
93.	Industry engaged in recycling of e-waste generated from the electrical and electronic Equipment (EEE) listed in the E-Waste (Management) Rules 2022 using pyro/ hydro/electro- metallurgical processing and recycling of plastic separated from Waste EEE
94.	Industries engaged in recycling/reprocessing/ recovery/reuse of hazardous waste (items as per schedule iv of H & OW(M & TBM) Rules, 2016.)- Lead Recycling (Lead Acid Batteries with Acids; Lead Scrap Recycling) Rotary Furnace/ Pit Furnace (Mandir/Canopy Bhatti)
95.	Industries engaged in recycling/reprocessing/ recovery/reuse of hazardous waste (items as per schedule iv of H & OW(M & TBM) Rules, 2016.)- Lead Recycling (Drained Lead Acid Batteries; Lead Scrap Recycling) Rotary Furnace/Mandir Bhatti on Cleaner Fuel
96.	Sugar (excluding khandsari/jaggery)
97.	Slaughterhouse / Slaughterhouse (with rendering plant)/ integrated slaughtering unit, meat processing units, bone mill, processing of animal horns, hoofs and other body parts
98.	Semiconductor fabs manufacturing
99.	Display fabs manufacturing
100.	Sensor fabs manufacturing/Compound semiconductors/ silicon photonics
101.	Tanneries (Raw to finish)
102.	Tanneries (Raw to wet blue)
103.	Tanneries (Wet blue to finish)
104.	Yarn / Textile processing involving any effluent/emission generating processes including bleaching, dyeing, printing, and colouring, including the garment and apparel manufacturing industry
105.	Integrated facility for reprocessing of waste textile fabric (including washing, bleaching, dyeing etc.)
106.	Laboratory chemicals involving distillation, purification process.

107.	Stand alone analytical testing laboratory
108.	Khandsari sugar / Jaggery (Using Boiler)
109.	Common Effluent Treatment Plant (CETP) having MEE/spray drier
110.	Common Effluent Treatment Plant (CETP) (without having MEE/spray drier), Common MEE/common spray driers
111.	Common Sewage-Effluent Treatment Plant (CSETP)
112.	Effluent conveyance projects
113.	COMMON HAZARDOUS WASTE TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY- Integrated facility (Secured landfill and incinerator)
114.	COMMON HAZARDOUS WASTE TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY- Only secured landfill
115.	COMMON HAZARDOUS WASTE TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY- Only incinerator
116.	COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (CBWTF)
117.	COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (CBWTF) using cleaner/gaseous fuel
118.	CBG plants based on industrial/ process waste.
119.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- HCFs with captive incinerator, irrespective of number of beds
120.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- more than 1000 bedded HCFs
121.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)501 to 1,000 bedded HCFs
122.	Hotels/Banquet halls having room facility (above 3 star) or having 100 & above rooms
123.	Railway locomotive work shop/ Integrated road transport workshop/ Authorized service centers (wastewater generation ≥ 10 KLD)
124.	Ports and harbours, jetties and dredging operations
125.	Dairy Farm (having more than 500 animals)
126.	Hydel power plants including Pumped Storage Projects (Capacity > 50 MW)
127.	Sand / Riverbed Material mining from Riverbed and Its Floodplains - Mining lease area more than 5 hectares or Mining lease area up to 5 hectares which is part of cluster mining

Orange Category

S.N.	Industries/activities/projects/products
1.	Bakery, confectionery, sweets with production capacity ≥ 1 TPD
2.	Brick kilns using coal as fuel
3.	Brick kilns using biomass as fuel
4.	Tunnel brick kilns (gas fired)
5.	AAC bricks/blocks manufacturing using coal as fuel (less than 12 TPD)
6.	AAC bricks/blocks manufacturing using biomass as fuel
7.	AAC bricks/blocks manufacturing using gas as fuel
8.	Fly ash bricks/ block manufacturing (with boiler)

9.	Manufacturing of Non-alcoholic Bevarages (Wastewater generation < 100 KLD)
10.	Dry cell Battery (excluding manufacturing of electrodes) and assembling & charging of acid lead battery on micro scale
11.	Activated carbon manufacturing (with steam activation)
12.	Stand-alone grinding units without CPP
13.	Chlor alkali using cleaner/gaseous fuel and washed salt
14.	Coir bleaching and dyeing/printing units
15.	Ceramics/ Glass /Earthen potteries and tile manufacturing using coal/oil fired kilns (fuel consumption: less than 12 TPD)
16.	Ceramics/ Glass /Earthen potteries and tile manufacturing (using gas fired kilns)/tunnel kiln
17.	Coal Washeries
18.	Liquid floor Cleaner, black phenyl, liquid soap, glycerol mono-stearate manufacturing
19.	Cashew nut processing
20.	Coffee seeds processing (wet process)
21.	Natural Dye and Pigments do not require acidic/ alkaline/ solvent extraction
22.	Synthetic detergents and soaps (wastewater generation< 100 KLD)
23.	Breweries and malteries industry (with fermentation)- Wastewater generation < 100 KLD
24.	Fibre glass (containing lead) production and processing (excluding moulding)
25.	Fibre glass (without lead) production and processing (excluding moulding)
26.	Manufacturing of Firecrackers including improved crackers/green crackers, etc.
27.	Fertilizer (granulation /formulation / blending) generating wastewater through floor washings, cooling towers etc.
28.	Fertilizer (granulation/formulation / blending) not generating wastewater
29.	Food and food processing including fruits and vegetable processing (Wastewater generation ≥ 10 KLD)
30.	Fish feed, poultry feed and cattle feed (with boiler)
31.	Fish processing and packing (excluding chilling of fishes)
32.	Modular wooden furniture from particle board, MDF, swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc., and other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (With boiler)
33.	Manufacturing of glue and gelatin by using biomass/cleaner fuel
34.	Manufacturing of glass - (Including printing or etching of glass sheet using hydrofluoric acid) (Oil/coal fired)
35.	Manufacturing of glass- (Including printing or etching of glass sheet using hydrofluoric acid) (gas fired)
36.	Producer Gas plant using conventional coal Gasification
37.	Integrated unit for production of Ammonia through hydrogen generated by electrolysis using renewable energy (Capacity < 15 TPD)- (Without Captive Power Plant using fossil fuel)

38.	Hydrogen production through electrolysis using raw/seawater and renewable energy (capacity ≥ 2.5 TPD)
39.	Hot mix plants using oil as fuel
40.	Hot mix plants using gaseous as fuel
41.	Ice cream manufacturing units
42.	Printing Ink Manufacturing
43.	Jute processing (with dyeing/ with boiler)
44.	Lime manufacturing (using lime kiln)
45.	Dairy and dairy products (Small scale units), using coal/biomass as fuel (Wastewater generation < 100 KLD)
46.	Dairy and dairy products, (Small scale units), using PNG as fuel
47.	Mining of minor minerals (except Sand/riverbed material mining)
48.	Grinding, processing, and screening of minor minerals
49.	Manufacturing of Mirror from sheet glass
50.	Mineral processing, industries involving ore sintering, pelletisating, grinding & pulverization
51.	Malteries (without fermentation)
52.	Manufacturing of Mosquito repellent & coil
53.	Ferrous and Non-ferrous metal (excluding lead, nickel, and manganese) secondary processing/reprocessing units involving different furnaces through melting, refining, casting, alloy-making (using cleaner fuels/electricity)
54.	Aluminum & copper extraction from scrap using an oil-fired furnace (dry process only)
55.	Plasma electrolytic polishing (electroplating)
56.	Forging of ferrous and non-ferrous metals using liquid fuel
57.	Forging of ferrous and non- ferrous metals using gaseous fuel
58.	Forging of ferrous and non- ferrous metals using electricity
59.	Rolling mills (oil and coal fired)
60.	Cupola furnace
61.	Induction furnace/arc furnace
62.	Formulation/palletisation of camphor tablets, Naphthalene balls from camphor/ naphthalene powders.
63.	Vegetable oil manufacturing including solvent extraction and refinery /hydrogenated oils
64.	Nuclear energy-based power plants (up to 220 MW)
65.	Gas-based power plants
66.	Recycled fibre/waste paper based Pulp & Paper (Without bleaching; plant capacity <15 TPD)
67.	Manufacturing of paint and varnishes (only blending and mixing)
68.	Pesticide formulation industries (Liquid formulation only) without having boiler /thermopack
69.	Photographic film and its chemicals
70.	Manufacturing of lubricating oils, grease, and petroleum- based products

71.	Pharmaceuticals (Formulation)
72.	Pharmaceuticals (Formulation) using cleaner/gaseous fuel
73.	Vaccine manufacturing
74.	Vaccine manufacturing using cleaner/gaseous fuel
75.	Pharmaceutical R&D facilities
76.	Ayurvedic or Unani medicines manufacturing
77.	Ayurvedic or unani medicines manufacturing using cleaner fuel
78.	Plywood/board manufacturing (including Veneer and laminate) with biomass fired boiler / thermic fluid heater (without resin plant)
79.	Printing press (newspaper, books, magazines, etc./ Gravure printing
80.	Synthetic Rubber excluding molding
81.	Refractories based on coal/liquid fuel (fuel consumption: less than 12 TPD)
82.	Refractories based on cleaner fuels
83.	Tyre and tube manufacturing
84.	Tyres and tubes vulcanization/ hot retreading
85.	Rubber goods industry (with solid fuel/oil-based boiler)
86.	Synthetic resins manufacturing (using only gaseous fuel)
87.	Parboiled rice mill (with soaking and steam/drier)
88.	Industries engaged in Recycling/Reprocessing/ Recovery/Reuse Of Hazardous Waste Under Schedule Iv Of H&OW(M & TBM) Rules, 2016 - Items, Namely, Spent Catalysts Containing Nickel, Cadmium, Zinc, Copper, Arsenic, Vanadium, And Cobalt, Including Dry Battery (Except Lead), And Cleared Metal Catalyst.- Pyro metallurgy (using cleaner/gaseous fuels)
89.	Industries engaged in Recycling/Reprocessing/ Recovery/Reuse Of Hazardous Waste Under Schedule Iv Of H&OW(M & TBM) Rules, 2016 - Items, Namely, Spent Catalysts Containing Nickel, Cadmium, Zinc, Copper, Arsenic, Vanadium, And Cobalt, Including Dry Battery (Except Lead), And Cleared Metal Catalyst.- Hydro metallurgy
90.	Industry engaged in recycling of e-waste generated from the electrical and electronic equipment (EEE) listed in the E-Waste (Management) Rules 2022 (PCB processing limited to only mechanical processing and separation without pyro/ hydro/ electro-metallurgical processing), production of Al, Cu, and other metals from non-PCB sources and/or recycling of plastic separated from Waste EEE.
91.	Isolated storages (as defined under Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended)
92.	Paint and ink sludge / residues recycling
93.	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste, excluding lead, paint, and ink sludge
94.	Refining of used oil by hydro-treating/using solvent extraction
95.	Refining of used oil by using thin film evaporation/vacuum distillation with clay treatment
96.	Recycling / reprocessing of waste oil
97.	Manufacturing of flakes/staple fibre/strip from the recycling of PET bottles

98.	Plastic waste processing (manufacturing of flakes/granules)
99.	Scraping Facilities For Recycling End-Of-Life Vehicles, Wagons, And Coaches (Collection, Depollution and Dismantling Centers (Without shredding)
100.	Scraping Facilities For Recycling End-Of-Life Vehicles, Wagons, And Coaches-Collection, Depollution, Dismantling and shredding Centers
101.	Ship breaking industries
102.	Manufacturing of Silica gel
103.	Manufacturing of Iodized Salt from Crude / Raw Salt
104.	Manufacturing of Starch / Sago / Sorbitol
105.	Stone crushers
106.	Stone crushing/grinding/washing & screening of riverbed material(s)
107.	Manufacturing of Surgical and medical products
108.	Vegetable tanning
109.	Manufacturing of toothpaste and other cosmetics items
110.	Glass (mercury based) thermometer manufacturing
111.	Manufacturing of Teflon- based products
112.	Thermocol manufacturing (with boiler)
113.	Manufacturing of tobacco products including cigarettes and tobacco processes (with boiler)
114.	Tyre Pyrolysis Oil Industries-Applicable for advanced batch automated process / continuous TPO units
115.	Tea processing (with boiler)
116.	Yarn to grey fabric manufacturing with water jet machines
117.	Saree/fabric printing by screen / wooden block/hand block
118.	Textile spinning, sizing and weaving mills (wastewater generation≥ 10 KLD)
119.	CFL, tube light, bulb etc. (using mercury & its compound)
120.	Importer/Exporter of hazardous waste
121.	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas/ export processing zone/ SEZs/ Biotech parks/ leather complex
122.	LPG Bottling Plant
123.	Transporter of hazardous waste
124.	Lead oxides/ Lead plates and its derivatives. (directly from metal)
125.	STANDALONE GENERATOR SET (Gensets) of total capacity ≥ 1 MVA, using liquid fuel
126.	Airports
127.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- 201 to 500 bedded HCFs
128.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- 51 to 200 bedded HCFs
129.	Hotels/Banquet halls having room facility (above 3 star) or having 100 & above rooms (based on cleaner /gaseous fuel)

130.	Hotels/Banquet halls having room facility (up to 3 star) or having more than 20 rooms but less than 100 rooms.
131.	Marriage Garden/ Restaurant> 36 seats or 100 Sqm area
132.	Railway locomotive work shop/ Integrated road transport workshop/ Authorized service centers (wastewater generation <10 KLD)
133.	Railway Stations (Wastewater Generation ≥ 5 MLD)
134.	Ports and harbours (only containers handling)/ Captive jetties
135.	Automobile service stations/ workshops
136.	Building construction project ≥ 20,000 sq. m. built-up area
137.	Land/area development project > =50 hectare
138.	Standalone mechanized laundry (using boiler)
139.	New highway construction project
140.	Dairy Farm (having 101 to 500 animals)
141.	Dairy Farm (having 15 to 100 animals)
142.	Mini Hydel power plants including Pumped Storage Projects (Capacity from more than 25 MVA and up to 50 MW)
143.	Sand / Riverbed Material mining from Riverbed and Its Floodplains - Standalone mining lease area up to five hectares in areas (not a part of any cluster mining)

Green Category

S.N.	Industries/activities/projects/products
1.	Almirah, Grill Manufacturing (Dry Mechanical Process)
2.	Bakery, confectionery, sweets with production capacity ≥ 1 TPD. (using cleaner/gaseous fuel)
3.	Fly ash bricks/ block manufacturing (without boiler)
4.	Battery manufacturing without boiler (excluding lead acid battery)
5.	Briquette manufacturing (coal/biomass/coke)
6.	Bulk terminals for storage and packaging of cement
7.	Manufacturing of Compact disc Computer (CD/DVD) / cassette manufacturing / reel manufacturing
8.	Coir fibre/pith processing units generating effluent
9.	Ceramics/ Glass /Earthen potteries and tile manufacturing (using only electrical kiln)
10.	Phenyl/toilet cleaner formulation and bottling
11.	Coffee seeds processing with eco-pulper
12.	Manufacturing of Candy
13.	Manufacturing of precast Cement products (without using asbestos/ boiler / steam curing) like pipe, pillar, jafri, well ring, block/tiles etc.(should be done in closed covered shed to control fugitive emissions)
14.	Manufacturing of Ceramic Colour by mixing & blending only (not using boiler and wastewater recycling process)
15.	Chilling plant
16.	Cold storage
17.	Ice Making

18.	Decoration of Ceramic Cups and plates by electric furnace
19.	Ready mix Cement Concrete
20.	CO2 recovery plant
21.	Synthetic detergents and soaps (only formulation)
22.	Potable alcohol by blending, bottling of alcohol products
23.	Manufacturing of coated Electrode
24.	Emery powder (fine dust of sand) manufacturing
25.	Food and food processing including fruits and vegetable processing- Wastewater generation < 10 KLD (without boiler)
26.	Fish feed, poultry feed and cattle feed (without boiler)
27.	Modular wooden furniture from particle board, MDF, swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc., and other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (Without boiler)
28.	Carpentry & wooden furniture manufacturing with spray painting (excluding saw mill) with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting circular blade, etc.
29.	Foam manufacturing
30.	Flour mills (dry process)
31.	Steel furniture with spray painting
32.	Hydrogen production through electrolysis using raw/sea water and renewable energy (capacity < 2.5 TPD)- (Without Captive Power Plant using fossil fuel)
33.	Glue from starch (physical mixing) with Gas/ electrically operated oven /boiler.
34.	Gold and silver smithy (purification with acid smelting operation and sulphuric acid polishing operation) (using less or equal to 1 litre of sulphuric acid/ nitric acid per month)
35.	Jute processing (without dyeing / without boiler)
36.	Manufacturing of optical Lenses (using electrical furnace)
37.	Mobile towers using genset(s)
38.	Heat treatment using furnace (without cyaniding)
39.	Heat treatment with any of the new technology like ultrasound probe, induction hardening, ionization beam, gas carburizing etc.
40.	Forging of ferrous and non- ferrous metals (cold forging, without any heat treatment)
41.	Rolling mills (gas fired)
42.	Wire drawing and wire netting (without pickling and with heat treatment)
43.	Die-casting /extrusion process only
44.	Manufacturing of aluminium utensils from aluminium circles pressing/ Brass and bell Metal utensils manufacturing from circles (dry mechanical operation only)
45.	Oil mills Ghani and extraction without boiler (no refining/ hydrogenation)
46.	Manufacturing of lubricating oils, grease, and petroleum- based products (only blending)
47.	Ayurvedic or unani medicines manufacturing (Without boiler)
48.	Digital Printing on flex /vinyl, PVC etc. (more than 5 machines)
49.	Spray Painting, Paint baking, Paint shipping

50.	Manufacturing of bi-axially oriented Polypropylene (PP) film along with metalizing operations
51.	Pulse/Dal Mills
52.	Insulation and other coated Papers (excluding paper or pipe manufacturing)
53.	Packaging materials manufacturing from non- asbestos fibre, vegetable fibre yarn
54.	Polythene and plastic processed products manufacturing (virgin/compostable plastic)
55.	Poultry, piggery, and hatchery
56.	Puffed rice (muri) (using gas)
57.	Rubber goods industry (with gas-based boiler)
58.	Blending of melamine Resins & different powder, additives by physical mixing, including phenolic resin (without boiler)
59.	Raw rice mill (Without soaking and steam/drier)/ hullers)
60.	Industry engaged in dismantling (only) of e- waste, generated from the electrical and electronic equipment (EEE) listed in the E-Waste (Management) Rules 2022
61.	E-waste refurbishing centres
62.	Scraping Facilities For Recycling End-Of-Life Vehicles, Wagons, And Coaches - Common Shredders (Standalone)
63.	Surgical and medical products assembled only (with effluent-generating processes)
64.	Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging Facility (ATMP)
65.	Saw mills
66.	Spice grinding
67.	Cutting, Sizing and polishing of marble, granite and other stones
68.	Manufacturing of tooth powder, talcum powder
69.	Manufacturing of tobacco products including cigarettes and tobacco processes (without boiler)
70.	Transformer repairing/ manufacturing (dry process only)
71.	Tamarind powder manufacturing
72.	Tea processing (without boiler)
73.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling / Reeling / TFO-Two for one unit (dry process)-with boiler
74.	Hand block printing without effluent generation
75.	Textile spinning, sizing and weaving mills (wastewater generation <10 KLD)
76.	Power looms (without dye and bleaching)
77.	Reprocessing of waste textile fabric (dry process)
78.	Seasoning of Wood in steam heated chamber
79.	Pulverization of bamboo and scrap Wood
80.	Distilled Water (without boiler) with electricity as source of heat
81.	Purification of Water and packaging (mineralized/non- mineralized water)
82.	Tilli processing
83.	Fabrication process (with spray painting)
84.	Fragrances and industrial perfumes.
85.	Manufacturing of Plaster of Paris

86.	Automobile fuel outlet (only dispensing)
87.	PU/PVC Footwear Manufacturing
88.	Steeping and processing of grains
89.	Hazardous wastes from C&F, institutes/department, stores etc. like discarded/expired medicine /pesticide/FMC/expired dry powered / crackers/transformer oil /narcotics items etc.
90.	Industrial gases like oxygen, nitrogen, argon etc. using physical separation technology.
91.	Non-hazardous wastes re-processing/ handling/storage etc. like Plastic, Paper, Wood, Board, scrap, etc. (Actual users)
92.	Product by physical mixing not covered in specific sectors (Without any chemical reaction)
93.	Storage and handling of Hazardous chemicals listed in Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989
94.	Storage of Fly Ash in dyke
95.	Gud making /jaggery (without boiler)
96.	STANDALONE GENERATOR SET (Gensets) of total capacity ≥ 1 MVA, using cleaner/gaseous fuel
97.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- 11 to 50 bedded HCFs
98.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- Up to 10 bedded HCFs
99.	Health care facilities (HCFs) (as defined under Bio-medical waste management rules, 2016)- Non-bedded HCFs
100.	Hotels/Banquet halls having room facility- Up to 20 rooms
101.	Railway Stations (Wastewater Generation ≥ 100 KLD, but < 5 MLD)
102.	Railway sidings / Mineral stock yard
103.	Building construction project ≥ 5,000 sq. m., but < 20,000 sq. m. built-up area (without connectivity to terminal STP)
104.	Building construction project ≥ 2,000 sq. m., but < 5,000 sq. m. built-up area (without connectivity to terminal STP)/ land/area development area projects < 5 Ha. and >01 Ha
105.	land/area development area projects < 50 Ha. and > 05 Ha and waste water < 100KLD.
106.	Standalone mechanized laundry (without boiler)
107.	Gold Assaying & Hallmarking Centres
108.	Facility of handling, storage, and transportation of food grains in bulk
109.	Flyash export or disposal operations
110.	Oil and gas transportation pipeline (excluding pipeline covered under definition of isolated storage of hazardous chemicals, as per Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989)
111.	Gaushalas

Blue Category

S.N.	Industries/activities/projects/products
1.	Municipal Solid Waste Management Facility (Sanitary landfill/ Integrated Sanitary landfill with material recycling facility/refused derived fuel, etc.)
2.	Waste to energy power plants
3.	Bio-mining of legacy waste projects
4.	Municipal Solid Waste Bio- methanation plant (Quantity of MSW ≥ 5 TPD)
5.	Municipal Solid Waste Composting Facility (Quantity of MSW ≥ 5 TPD)
6.	Municipal Solid Waste Material Recovery Facility (Quantity of MSW ≥ 5 TPD)
7.	Construction and Demolition (C&D) Waste Processing Plants
8.	Sewage Treatment Plant (5 MLD and above)
9.	Sewage Treatment Plant (less than 5 MLD)
10.	CBG plants irrespective of feed stock- MSW, agro-residue, energy crops/grass/weeds, animal waste, press mud, etc. (apart from industrial/process waste) generating wastewater of 50 KLD or above
11.	CBG plants irrespective of feed stock- MSW, agro-residue, energy crops/grass/weeds, animal waste, press mud, etc. (apart from industrial/process waste) generating wastewater less than 50 KLD
12.	CBG plants irrespective of feed stock- MSW, agro-residue, energy crops/grass/weeds, animal waste, press mud, etc. (apart from industrial/ process waste), not discharging any wastewater and producing by-products- (i) Fermented Organic Manure (FOM)/ Liquid Fermented Organic Manure (LFOM)/ enriched manure and/or (ii) Briquette/pellet using fuel.

White Category

For industries established in notified industrial area and having cost less than Rs. 10 crores: -

S.N.	Industries/activities/projects/products
1.	Assembly of air coolers/conditioners, repairing & servicing.
2.	Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles
3.	Bailing (hydaulic Press) waste papers, plastic waste etc.
4.	Bio fertilizer & bio-pesticide without using inorganic chemical.
5.	Biscuit/egg trays etc. from rolled PVC/paper board sheet (using automatic vacuum forming machine)
6.	Blending and packaging of Tea
7.	Block making for printing without foundry
8.	Chalk making from plaster of paris (only casting without boilers etc.(sun drying / electrical oven)
9.	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen, Medical oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other Gases)
10.	Cotton, Synthetic, Silk and woolen hosiery making (dry process only without any dying/washing operation(SSI & Cottage industries)
11.	Diesel pump repairing & servicing dry mechanical process
12.	Electric lamp (bulb), LED and CFL manufacturing by assembling only

13.	Electrical & electronic items assembling other than covered under E-waste Rules, 2016(completely dry process)
14.	Engineering and fabrication units (Dry process without any heat treatment/metal surface finishing operation/painting)
15.	Flavoured beetle nut production/grinding. (completely dry mechanical operations)
16.	Fountain pen manufacturing by assembling only
17.	Glass ampules & vials making from glass tubes.
18.	Glass putty and sealant by mixing with machine only
19.	Groundnut decorticating (dry)
20.	Handloom/ Carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
21.	Leather cutting and stitching (less than 50 machines and using motor)
22.	Manufacturing of coir items from coconut husk
23.	Manufacturing of metal caps, containers etc. by metal pressing only.
24.	Manufacturing of shoe brush, wire brush, hair brush, paint brush etc
25.	Medical oxygen
26.	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing) (without boiler and without any reactor)
27.	Organic manure (manual mixing).
28.	Packing of powdered milk
29.	Paper pins and U-clips by dry process
30.	Repairing of electric motor & generator dry mechanical process
31.	Rope (Cotton & Plastic)
32.	Scientific and mathematical instruments manufacturing (assembling only)
33.	Solar module (Non conventional energy apparatus) manufacturing unit
34.	Surgical and medical products by assembled only (not involving effluent/emission generating processes)
35.	All Solar power generation through solar photovoltaic cell
36.	All wind power
37.	Mini hydel power (≤ 25 MW)
	Other
38.	Agricultural services not elsewhere classified (like harvesting & threshing).
39.	Button & hooks manufacturing units.
40.	Computer and peripheral assembling units.
41.	Ceramic products manufacturing by sun drying.
42.	Common salt crushing and packing units.
43.	Distributors of agricultural machinery and equipment.
44.	Distributor of industrial machinery and equipment other than electrical.
45.	Embroidery work, zari work and ornamental trimmings carrying units (by hand).
46.	Engineering workshop, machine shop, fabrication shop, smithy shop, turning shop, cutting shop
47.	Frying of dals and other cereals n.e.c.

48.	Electro magnets, fans, armature, coils and electro-magnetic instruments (Assembling only).
49.	Floriculture & Horticulture.
50.	Inland water fishing.
51.	Industrial items from engineering plastics by fabrication process only.
52.	Jute and natural fiber goods making units.
53.	Jute and Mesta pressing and baling units
54.	Making of laces and fringes by hand.
55.	Manufacturing units of Articles of paper (used as containers).
56.	Manufacturing units of straw. basket ware and wicker ware.
57.	Manufacturing units of blankets, shawls, carpets, rugs (only weaving).
58.	Manufacturing units of purses and ladies handbags. artistic leather presentation from ready leather.
59.	Manufacturing of blankets and shawls by hand.
60.	Manufacturing of cotton carpets by hand.
61.	Manufacturing of matches on cottage scale.
62.	Manufacturing of woollen carpets by hand.
63.	Manufacturing of silk carpets by hand.
64.	Manufacturing of durries, drug gets and rugs by hand.
65.	Manufacturing of raincoats, hats, caps and school bags.
66.	Manufacturing of curtains, bed-covers and furnishings 0 hand embroidered.
67.	Manufacturing of curtains, bed-covers and furnishings o hand printed (without dyeing & printing)
68.	Manufacturing of crocheted made-up textile goods, except apparel.
69.	Manufacturing of made-up canvas goods such as tents and sails etc.
70.	Manufacturing of glass bangles.
71.	Manufacturing of glass decoration pieces.
72.	Manufacturing of gypsum boards.
73.	Manufacturing of locks (without electroplating I anodizing).
74.	Manufacturing of oil stoves (pressure and non-pressure).
75.	Manufacturing of carrom boards and tables for billiards, table tennis and others.
76.	Manufacturing of billiard sticks, hockey sticks, cricket bats, stumps and others.
77.	Manufacturing of rackets for badminton, lawn tennis, table tennis, etc.
78.	Manufacturing of balls including those of billiards.
79.	Manufacturing of brushes/dusters and similar articles of feathers.
80.	Manufacturing of advertising sign-boards and displays etc.
81.	Manufacturing of sports kit.
82.	Manufacturing of market basketry, grain storage bins, ration baskets and similar.
83.	Manufacturing from cane and bamboo of shopping bags, ornament boxes.
84.	Manufacturing of articles made of palm leaf, screwpine leaf and khajoor leaf.
85.	Manufacturing of wooden industrial fixtures such as bobbins, spools, sewing ruler.
86.	Manufacturing of wooden tool handles.

87.	Manufacturing of broomsticks.
88.	Manufacturing of wooden toys, decoration pieces and wooden lamp stands, etc.
89.	Manufacturing of wooden agricultural implements.
90.	Manufacturing of other wooden household products n.e.c.
91.	Manufacturing of coir items from coconut husk
92.	Manufacturing of domestic flour mill (without plating, electroplating and heat treatment).
93.	Manufacturing of fork-knife, scissors.
94.	Manufacturing of frames for spectacles (only assembling)
95.	Manufacturing of all types of threads, cordage, twines etc.
96.	Manufacturing of weighing machines.
97.	Manufacturing of coir rope and cordage.
98.	Manufacturing of other rope and cordage including that of jute I mesta and coir.
99.	Manufacturing of nets (except mosquito nets).
100.	Manufacturing of tapes, niwar and wicks etc.
101.	Manufacturing of handicraft I decorative I fancy items, n.e.c.
102.	Motor Rewinding
103.	Measuring I controlling I regulating instruments manufacturing units
104.	Manufacturing of photo frame, mirror frame.
105.	Manufacturing of boora.
106.	Manufacturing of screw, nut-bolts etc.
107.	Manufacturing of pickle and papad up to 500 kg/day
108.	Non-Electrical machine tools manufacturing units.
109.	Ocean, sea and coastal fishing.
110.	Painting and decorating work for constructions.
111.	Production of firewood I fuel wood (including charcoal by burning) by exploitation.
112.	Pump and motor assembling units.
113.	Processing of dry rice.
114.	Processing of edible nuts except oil expeller.
115.	Processing of groundnuts except oil expeller.
116.	Printed books, Notebooks, Registers and other printed materials.
117.	Printing of cloth by hand.
118.	Sun drying of fruits & vegetables.
119.	Sun dying of fish.
120.	Salt manufacturing at cottage scale.
121.	Salt quarrying and screening etc.
122.	Soil conservation services.
123.	Scientific services like soil testing.
124.	Soil desalination services.
125.	Spinning, weaving and finishing of coir textiles.
126.	Spinning, weaving and finishing of sann hemp and other vegetable fibre textile.
127.	Transformer assembling units.

128.	Timber works such as fixing of doors, windows and panels etc.
129.	Units carrying Electrical installation work for constructions.
130.	Various types of Hand Tools manufacturing.
131.	Warehousing of agricultural products without refrigeration.
132.	Wool spinning, weaving and finishing other than in mills.
133.	Weaving and finishing of cotton khadi.
134.	Waste papers bailing process (hydraulic press) .
135.	Body building of wooden boats & trawlers
136.	Hair sizing
137.	Re-packing of finished products (Dry products)
138.	Safety Match sticks
139.	Silk twisting (excluding dyeing & de-gumming)
140.	Honey Processing
141.	Import and storage of edible oil only
142.	Broom Sticks manufacturing with artificial drying and bleaching without generating trade effluents.
143.	Audio, Video and consumer electronic equipment assembly only
144.	Beauty Parlour
145.	Belt Fastner units without wet process
146.	Bindi making units.
147.	Bio Gas
148.	Biscuits, Pastries, Cakes, Confectionery, Bread, Bakery upto 100 kg/day (by electrical/Gas Oven/furnace)
149.	picturesthread Binding.
150.	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
151.	Embroidery.
152.	Fish Ponds
153.	Floor Polish, Nail Polish, Tooth Powder, Hair Oil, Shampoo and Tooth Paste (by physical blending only)
154.	General Wire Industries like wire drawing, barbed wire, Chain links, making units (without wet process and heat treatment)
155.	Marketing/Industrial Consultancy/Advertising Agencies
156.	Mushroom cultivation under controlled conditions/temperature
157.	Preparation of Photo identify card by using video camera-laser printing
158.	Sericulture units
159.	Solar Energy Panel making by assembling only
160.	Weigh Bridge Assembling
Cotton, Synthetic, Silk and woolen hosiery making (dry process only without any dying/washing operation(SSI & Cottage industries) (White category -W-10) (162 to 744)	
161.	Cotton cloth knitted Without Dying, Printing
162.	Cotton vests knitted Without Dying, Printing
163.	Cotton socks knitted Without Dying, Printing

164.	Cotton undergarments knitted Without Dying, Printing
165.	Cotton shawls knitted Without Dying, Printing
166.	Other cotton knitted wears Without Dying, Printing
167.	Woolen cloth knitted Without Dying, Printing
168.	Woolen vests knitted Without Dying, Printing
169.	Woolen socks knitted Without Dying, Printing
170.	Woolen scarves knitted Without Dying, Printing
171.	Woolen undergarments knitted Without Dying, Printing
172.	Woolen caps Knitted Without Dying, Printing
173.	Woolen shawls knitted Without Dying, Printing
174.	Woolen gloves Without Dying, Printing
175.	Woolen mufflers knitted Without Dying, Printing
176.	Other Woolen knitted wears Without Dying, Printing
177.	Silk Manmade Fiber hosiery Without Dying, Printing
178.	Synthetic knitted socks and stocking Without Dying, Printing
179.	Synthetic knitted underwear such as drawer Without Dying, Printing
180.	Synthetic knitted underwear such as vest briefs Without Dying, Printing
181.	Synthetic knitted outer wears jersey Without Dying, Printing & DG – set
182.	Slipover pullover cardigans and jacket
183.	Synthetic knitted outer wears such as slipover
184.	Synthetic knitted outer wears such as jersey, slipover
185.	Synthetic knitted children wear such as baby suites
186.	Synthetic knitted children wear knickers frock
187.	Synthetic knitted children wear outerwear
188.	Synthetic knitted children wear such as baby suites, knickers
189.	Synthetic knitted fabrics except high pile fabric made by silk knitting
190.	Synthetic knit wear such as scarf, muffler
191.	Synthetic knit wear such as scarf shawl
192.	Synthetic knit wear such as scarf cap ties
193.	Synthetic knit wear such as scarf jean
194.	Synthetic knit wear such as scarf blouse
195.	Synthetic knitted swim wear such as tunics and costume
196.	Synthetic knitted shirt,
197.	Synthetic knitted T-shirt,
198.	Synthetic knitted sports skirts
199.	Synthetic knitted collar shirt
200.	Synthetic knitted hose
201.	Synthetic knitted gas mantle fabric
202.	Other synthetic knit wears
203.	Stove Wicks
204.	Readymade garments

205.	Cotton belting
206.	Belt lacing
207.	Measuring Tapes-Cotton
Wood & Wood Products without use of powered appliances	
208.	Sawn timber
209.	Wooden crates
210.	Tea chest plywood
211.	Seasoned wood
212.	Wooden sewing machine covers
213.	Cable drums for AA and ACR conductors
214.	Tent Poles
215.	Wooden plugs
216.	Handles- bamboo
217.	Handles- Wooden
218.	Teak fabricated round block
219.	Wooden storage cupboards
220.	Wooden furniture and fixtures
221.	Wooden storage shelves
222.	Wooden storage racks
223.	Wood Wool slabs
224.	Wooden doors fabrication units
225.	Wooden windows fabrication units
226.	Wooden packing materials
227.	Wooden boxes
228.	Wooden electric boards
Stationery items only by physical cutting /assembling/pasting	
229.	Waxed Paper
230.	Decorative Papers
231.	Corrugated paper
232.	Corrugated boards
233.	Paper Bags
234.	Composite containers (unlamented)
235.	Paper board cartons (unlamented)
236.	Paper cups
237.	Paper plates
238.	Paper envelopes
239.	Corrugated Fibre board containers
240.	Paper twines strings
241.	Paper twines ropes
242.	Paper-cones
243.	Paper Tubes

244.	Drinking straws
245.	Paper napkins
246.	Paper facial tissue napkins
247.	Gummed Tape
248.	Tele-printer rolls
249.	Stencil Paper
250.	Tele-Tape rolls
251.	Slitting of ordinary paper into rolls
252.	Slitting of ordinary paper into sheets
253.	Toilet paper rolls
254.	Toilet paper sheets
255.	Paper straps
256.	Labels of gummed paper etc
257.	Stickers of gummed paper etc
258.	Treated tracing paper
259.	Gummed Paper for stamps
260.	Gummed Paper other than for stamps
261.	Sanitary towel
262.	Transfer labels
263.	Exercise books
264.	Exercise registers
265.	Letter pads
266.	File covers
267.	File board
268.	Ball point pens
269.	Pen nibs
270.	Ball pens components excluding metallic tips
271.	Fountain pens components excluding metallic tips
272.	Pencils
273.	Hand stapling machine
274.	Paper pins
275.	Carbon paper
276.	Typewriter ribbon
277.	Hand numbering machines
278.	Pencil sharpeners
Leather cutting and stitching (W-22)(Without Tanning, Processing)	
279.	Sole leather
280.	Bun war leather
281.	Katie leather
282.	Picking band leather
283.	Leather pickers and other leather Accessories for textile industry

284.	Vegetable tanned hides Semi finished
285.	Vegetable tanned skins Semi finished
286.	Chrome tanned hides Semi finished
287.	Chrome tanned skins Semi finished
288.	Lining leather from goat skins
289.	Lining leather from sheep skins
290.	Laminated leather belting
291.	Harness leather
292.	Leather shoes
293.	Leather shoes upper closed
294.	Leather chapels
295.	Leather sandals
296.	Leather garments
297.	Leather suit cases
298.	Leather travel goods
299.	Leather hand bags
300.	Leather purses
301.	Farey leather goods and other novelty items
302.	Watch straps leather
303.	Leather cases and covers of all types
304.	Industrial leather gloves
305.	Leather laces
306.	Leather washers
Engineering and fabrication units (Dry process without any heat treatment/metal surface finishing operation/painting/welding) W-14	
307.	Steel Almiraha
308.	Food safer-Metallic
309.	Meat safer-Metallic
310.	Metal cabinet- All type
311.	Steel trunk
312.	Tin containers unpainted-upto 18 litres capacity
313.	CI Buckets
314.	Barrels upto 60 liter cap
315.	Tin trays
316.	Drums upto 60 liter cap
317.	GI Bath tubs
318.	Dust bins
319.	Sanitary fixtures -metallic
320.	Sackets end valves water pipe fittings
321.	MS Pipes fittings upto 100
322.	MS Storage tanks upto 15,000 litres storage capacity
323.	Pressure stove

324.	Wick stoves non branded
325.	Lanterns
326.	Signal lamps
327.	Hand lamps
328.	Shoe backs
329.	Shoe eyelets
330.	Umbrella rib stand fitting
331.	Zip Plasterers, Metallic
332.	Tin cutters
333.	Belt Fasteners
334.	Snap fasteners
335.	Pilier Proof caps
336.	Gun cases
337.	Crown corks (except for captive consumption)
338.	Doors metallic
339.	ventilators metallic
340.	Windows metallic
341.	Rolling shutters
342.	Lantern bodies
343.	Lantern posts
344.	Aluminum furniture
345.	Adjustable beds - Hospital
346.	Iron and Steel cots - All types
347.	Storage cupboards - Iron and Steel
348.	Rooks - All types
349.	Wheel chairs for invalids
350.	Steel chairs all types
351.	Steel tables - hospitals
352.	Steel tables all other types
353.	Trolleys - Railway Platform drinking water
354.	Trolleys - Iron and Steel Hospital
355.	Stretchers - Iron and Steel
356.	Storage bins- steel
357.	Steel furniture- All other types
358.	Hacksaw Frames
359.	Pliers
360.	Screw drivers
361.	Spanners
362.	Hammers
363.	Anvil
364.	Wood working saws

365.	Wrenches
366.	Knives
367.	shearing blades
368.	Nail pullets
369.	Chisels
370.	Pincurs
371.	Wire cutters
372.	Hand Tools for Blacksmith,
373.	Other Hand Tools for carpentry,
374.	Other Hand Tools for Hand forging,
375.	Other Hand Tools for foundry
376.	Bolts and nuts - Except high tensile and speddal types
377.	Rivets of all types/including bifurcated
378.	Wire adjusting screws
379.	Tumbler locks
380.	Pad locks
381.	Safe/cabinet locks
382.	Door locks
383.	Locks bicycles
384.	Drawer locks and suitcase locks
385.	Chairs lashing
386.	Perian wheels
387.	Chaff cutters
388.	Chaff cutter blades
389.	Animal driven implements
390.	Crow bars
391.	Plough shears/iron ploughs
392.	Cultivators
393.	Disc Harrows
394.	Insecticide duster - Manual
395.	Insecticide sprayers - Manual
396.	Forks
397.	Hoes
398.	Levelers
399.	Mowers
400.	Stainless Steel utensils
401.	Pickers- Metallic
402.	Hand pumps
403.	Seed Treaters
404.	Hand shovels
405.	Sickles

406.	Seed bins
407.	Water lifters
408.	Kodali
409.	Other agricultural implements
410.	Wire nails
411.	Panel pins
412.	Wood screws
413.	Machine screws except socket head and special types
414.	Gate Hooks
415.	Shoe nails animal
416.	Hob nails
417.	Builders hardware
418.	Metallic washers
419.	Barbed wire
420.	Vitreous enamel hollow
421.	Spoons-Cutlery
422.	Forks -Cutlery
423.	Table knives/Household knives
424.	Bread cutters
425.	Other cutlery items
426.	Domestic utensils - Brass
427.	Domestic utensils - Bell/Metal
428.	Domestic utensils Bell / Metal
429.	Domestic utensils - Copper
430.	Domestic utensils Iron
431.	Domestic utensils - Silver
432.	Domestic utensils - Bronze
433.	Domestic utensils-German
434.	Gas appliances such as ovens etc
435.	Gas lighters-Mechanical
436.	Razors
437.	Safety Pins
438.	Watch straps - Metallic
439.	Beam Scales
440.	Postal weighing scales
441.	Expanded metal
442.	Welded Wire metal units
443.	Wire gauge metallic
444.	Wire netting metallic
445.	Steel Wool
446.	Hair pins

447.	Metal fittings for leather goods Metal fittings and garments
448.	Metal fittings for garments
449.	Ghamelas
450.	Blacksmith bearths
451.	Brass Dampers
452.	Measuring tapes Steel
453.	Lamp holders
454.	Winnowers up to 5 HP motive power
455.	What and rise threshers up to 5 HP motive power
456.	Seed cleaners-up to 5 HP motive power
457.	Grain Dries-upto 5 HP motive power
458.	Shell huskers upto 5 HP motive power
459.	Reapers upto 5 HP motive power
460.	Cotton celiniting machine
461.	Seed drills
462.	Other agricultural machinery
463.	Harvester grader, baler and other earth moving blades used in agricultural machines
464.	Low space gear for use in agricultural machines thrashers made of cast iron mild steel
465.	Diesel engines upto 15 HP stone speed
466.	Dal mill machinery
467.	Rice mill machinery
468.	Oil crushers
469.	Oil crusher parts
470.	Cotton ginning knives
471.	Tea cutting knives
472.	Three knives trimmer and envelope
473.	Clicking knives for leather industry
474.	Chopping knives and lancets for match industry
475.	Elastic shredding and granulating, knives
476.	Knives and shearing blades (all type including those for metal paper bamboo)
477.	Doctor blades
478.	Stainless Steel refiner / bar knives
479.	Concrete mixers upto 5 meter capacity
480.	Bend saw blades for cutting wooden logs
481.	Room cooler desert type
482.	Air-conditioning ducting louvers , grills and other sheet fabrication
483.	Centrifugal pumps upto size 10 cm x 10 cm
484.	Air compressors upto HP for spray painting repair shops
485.	Electro formed screen/ Liners used in the chemicals and sugar industries
486.	Hand Threading tap holders
487.	12 mm Drilling machine upto 1000 rpm Bench and pedestal type

488.	Turning, Boarding and Trading Add as small single or multiple operation devices
489.	Punch Grinder upto 500 mm diameter
490.	Power hacksaw mechanical 300 mm Blade
491.	Screw Presses (Manually operated)
492.	Hand Presses (manually operated)
493.	Coolant Pumps etc
494.	Steadies
495.	Dog plates
496.	Machine vices, machine tool
497.	Carbide tipped tools single point Brazed carbide bits purchased from manufactures
498.	Weighing machines
499.	Weighing bridges ordinary
500.	File mechanism
501.	Sewing machine, Domestic Hand operated, conventional type
502.	Household knitting machine
503.	Absolute filters for biological and air conditioning application
504.	Duplicating machines-other then those of special type
505.	Bottle -washes
506.	Double can mixer - dairy Equipment
507.	Micro pulverize- Dairy equipment
508.	Rotary dryers- Dairy equipment's
509.	Basket type centrifuges
510.	Milk cooling and ghee settling equipment- Dairy Equipment
511.	Evaporating pans - Dairy equipment
512.	Butter chorn - Dairy equipment
513.	Curd Mills-Dairy equipment
514.	Agitater - Dairy equipment
515.	Storage tanks for dairies
516.	All poultry equipment
517.	Fabrication of tractor trawler
518.	Casting units - using pit furnace
519.	Steel doors & shutter fabrication units
Electrical & electronic items assembling (Completely dry process) (W-13)	
520.	Hairdryer All type
521.	Express coffee makers upto 170 liters capacity
522.	Immersion water heaters upto 5 kW
523.	Food warmer treys upto 500 -watts
524.	Bread toasters ordinary/upto/semi auto upto cap 6 slices
525.	Ice cream makers cap 1 liter for use with domestic refrigerators
526.	Electrical Wiring accessories other than switches, Plugs and Sockets
527.	Electrical light fitting chokes

528.	AA Conductors upto and including 19 strands
529.	ACSR conductors up to and including 19 strands
530.	Carbon brushes manufactured from carbon black
531.	Emergency lamps
532.	Electrical light fitting starter
533.	Black adhesive insulation tape electrical use
534.	Metal clad switches upto 100 Amps
535.	Radio/Car Radio, Low cost upto Rs 250 each
536.	TV Antenna
537.	TV tuners excluding electronic tuners
538.	TV Games
539.	Pick up cartridges
540.	TV Booster amplifier
541.	Radio and TV Coils
542.	Amplifiers for entertainment
543.	Public address system
544.	Assembly of loudspeakers
545.	Inverters and converters up to 500 volts amperes
546.	Regulated DC lower supplies upto 001% regulation
547.	Electronic fan regulators
548.	Dimmers & Twilight Switches
549.	Digital clocks
550.	Wire-wound resistors other than professional types
551.	Telescopic aerials for radio receivers
552.	Battery eliminators
Auto Parts, Components and Ancillaries & Garage Equipment (Assembling only)	
553.	Sun shades- Auto
554.	Side lamps assembly-auto
555.	Spot lamp assembly-auto
556.	Stop lamp assembly-auto
557.	Tail lamp assembly-auto
558.	Ash trays-car fittings
559.	Battery cell tester
560.	Electrical fuse boxes-auto
561.	Electrical fuse-auto
562.	Exhaust mufflers-auto other than double coil exhaust mufflers
563.	Fuel tank caps-auto
564.	Fuel lines-auto
565.	Armature tester
566.	Battery terminal lifters
567.	Condensers testers

568.	Resistance testers
569.	Femmers spoons and hammers
570.	Feeler gauges
571.	Flaring Tools
572.	Gear flushers
573.	Puller of all types
574.	Ring expanders
575.	Ring compressors
576.	Screw extractors
577.	Spark plug cleaners
578.	Spark plug tester
579.	Stud removers - extractors
580.	Toe in gauges
581.	Tyre valve pullout tools
582.	Tube cutter
583.	Flanging tools
584.	Valve lifters
585.	Valve replacing and resetting tools
586.	Camber testing equipment
587.	Painting equipment's like spray guns etc
588.	Grease guns
589.	Tyre inflators-Bath hand and foot operated
590.	Electric Horns-auto
591.	Auto rubber components and follows
592.	Brake pedals,
593.	Clutch pedals
594.	Dust covers
595.	Wiper blade components
596.	Windscreen beading
597.	Door
598.	Rubber Beading
599.	Rubber mats
600.	Spokes and nipples- auto-cycle other than cowaged type
601.	Sun Visors-Auto
Assembly of bicycles, baby carriage and other small non-motorised vehicles (W-2)	
602.	Cycle frames
603.	BB Axle
604.	BB Cups
605.	BB Shells
606.	Bicycle tube valves
607.	Handles bicycles

608.	Bolts and studs and screw- All types Bicycles
609.	Bells-Bicycles
610.	Carrier Bicycles
611.	Chains cycles
612.	Chain -wheels and adjusters
613.	Chain covers
614.	Cones covers
615.	Cotter pins cycle
616.	Crank shafts cycle
617.	Crank forging-cycle
618.	Grown outer cover
619.	D nuts-cycle
620.	Bye bolt cups-cycle
621.	Fork handles-cycle
622.	Fork handles-cycle
623.	Frame collars-cycle
624.	Guide pins cycle
625.	Handle bar grips
626.	Hub oil clips-bicycle
627.	Hub out put bicycle
628.	Lock nuts and rings bicycle
629.	Lugs all types-Bicycle
630.	Mudguards-Bicycle
631.	Lamp Brackets-Bicycle
632.	Pedal assembly cycle
633.	Saddle cycle
634.	Shackle rivote-cycle
635.	Stand- cycle
636.	Spokes and nipples cycle
637.	Hubs and cups-bicycle
638.	Rims-Cycle Except for captive consumption
639.	Other cycle parts and accessories except free wheel
640.	Tricycles
641.	Tricycles -parts and accessories
642.	Perambulator
643.	Perambulator parts and accessories
Agriculture Implements-Hand Operated tools & animal driven implements made by fabrication only & no surface treatment	
644.	Animal drawn carriage fitting, Tonga parts and wheeling
645.	Hand drawn carriage fitting, Tonga parts and wheeling
646.	Wheel barrows

647.	Animal-drawn vehicles
648.	Hand drawn parts of all types
Scientific and mathematical instruments manufacturing (W-33)	
649.	Chain line base measuring apparatus
650.	Cross staff
651.	Compass/prismatic
652.	Dividers
653.	Drawing Boards
654.	Dumpy levels
655.	Drawing instruments Engg
656.	Diagonal scales
657.	Engineers level
658.	Engineering scales
659.	French corners
660.	Ghat and reed tracers
661.	Optional square
662.	Protractors
663.	Plane meters
664.	Plane tables equipment
665.	Ranging rods
666.	Flat rule
667.	Set square
668.	Slide rule
669.	Sextant
670.	Triangular Scales
671.	Tee
672.	T-square
673.	Calipers
674.	Drafting machine for Designing and drawing offices
675.	Other drawing mathematical and survey instruments excluding the delites
676.	Drawing instruments manufacturing units
677.	Survey instruments manufacturing units
678.	Scientific instruments manufacturing units
Sports goods (Manual Process)	
679.	All types of sports nets
680.	Shuttle cooks
681.	Hockey Sticks
682.	Protective equipment's for sport, like pads, gloves etc, soft Leather goods
683.	Dumb-bells and chest expanders
684.	Crickets and hockey balls
685.	Football, Valley ball and basket ball covers

Clocks & Watches	
686.	Table Clocks Pendulum type both with mech movement transistorized movement except lever type clocks
687.	Wall clocks, Pendulum type both with mech movement transistorized movement except lever type clocks
688.	Time-pieces, Mechanical Winding with alarm conventional
689.	Watch dials except ornamental high priced dials simple dials
690.	Cast brass watch cases polished and plated
Others goods by physical assembling only	
691.	Umbrellas
692.	Sterilizes stainless steel & Aluminum
693.	Microscope-student and medical use
694.	Water meters
695.	Liquid level controller (Excepting electronic)
696.	Ophthalmic lenses from blanks
697.	Photo graphic enlargers
698.	Projectors including slide and overhead, but excluding profile projectors
699.	Wire brushes
700.	Paint brushes
701.	Hair brushes
702.	Fibre brushes
703.	Tooth brushes
704.	Brushes Natural bristles
705.	Other brushes
706.	Mechanical toys
707.	Won mechanical toys
708.	Cufflinks
709.	Tie-pins
710.	Metallic dress buckles
711.	Settable hinges
712.	Absorbent cotton
713.	Cigarette lighters
714.	Diamond Cutting Polishing
Other units	
715.	Musical instruments (assembling)
716.	Raincoats
717.	Hand looms weaving (without dyeing)
718.	Yarn twisting, criping & texturizing units
719.	Fiber-glass molding (Electric furnace)
720.	Candles manufacturing
721.	Scent sticks manufacturing
722.	Domestic flour mill

723.	Spices Mills (Masala) upto 05 HP
724.	Toys (Handicrafts)
725.	Optical Frame
726.	Electric lamp (bulb) manufacturing (without using mercury)
727.	Bamboo & Cane product (only dry operations)
728.	Synthetic rubber and foam (only moulding)
729.	Stone carving
730.	Power Press
731.	Gud manufacturing units (without Boiler) for Self use
732.	Perfume manufacturing through mixing
733.	Bandage cloth by cutting and stitching & no chemical treatment.
734.	Brooms of all type
735.	Quites, Razais etc
736.	(a) Building & construction projects up to 2,000 Sq. mtr. built up area (b) land/area development project up to 01 hectare
737.	IT projects up to 2,000 Sq. mtr. built up area and DG set capacity< 15 KVA
738.	Bio/agro waste based briquettes by dry pressing only
739.	Garments stitching/Garment making/Tailoring
740.	Gold and silver thread zari work
741.	Radio assembling
742.	Shoe lace manufacturing, apparel making
743.	Standalone genset(s) of total capacity less than 1 MVA
744.	Used Cooking Oil (UCO) collection centers
745.	Railway Stations (Waste Water Generation <100 KLD)
746.	Hotels having rooms ≤ 10
747.	Mechanized laundry without boiler (Waste water < 5 KLD).
748.	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jafri, well ring, blocks/tiles etc. (<1 TPD)
749.	Distilled water (without boiler)with electricity as source of heat (< 1 KLD)
750.	Coir fibre/pith processing and/or Manufacturing of coir products from coir (only dry process)
751.	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boiler)
752.	Standalone manufacturing of Concrete admixtures up to 1000 MT per Month capacity by physical mixing (without boiler and reactor and no generation of wastewater)
753.	Soap manufacturing (handmade -without steam boiling/boiler)
754.	Carpentry & wooden furniture manufacturing without spray painting (excluding saw mill) with the help of electrical (motorized) machines such as electrical wood planner, steel saw cutting circular blade, etc.
755.	Steel furniture without spray painting
756.	Cold rolling mill (without heat treatment)
757.	Wire drawing and wire netting (without pickling and without heat treatment)
758.	Tyre Retraders

759.	Collection Centers (Without de-pollution, dismantling and shredding)
760.	Digital thermometer manufacturing
761.	Garment and apparel manufacturing industry including Doubling / Reeling/ TFO-Two. for one unit (dry process)-without boiler
762.	Railway sidings only for defence purposes
763.	Household bio-digesters/gobar-gas (cow-dung) plants based on biodegradable wastes, etc.
764.	CBG plants irrespective of feed stock- MSW, agro-residue, energy crops/grass/weeds, animal waste, press mud, etc. (apart from industrial/ process waste), not discharging any wastewater and producing by-products- (i) Fermented Organic Manure (FOM)/ Liquid Fermented Organic Manure (LFOM)/ enriched manure and/or (ii) Briquette/pellet using electricity. [i FOM & LFOM production in conformity with requirements of Gazette Notification No. 2051 dated 14.07.2020 & No. 1972 dated 01.06.2021, respectively and/or enriched manure as governed by Fertilizer Control Order, 1985, as amended from time to time, ii. Environmental Guidelines of CPCB for Compressed Biogas (CBG)/Bio-CNG plant and household Bio-digester, as amended from time to time to be followed.]
765.	Hydrogen production through electrolysis (using renewable energy) on BOO/BOOT/BOT, mode etc., located in the premises of end user industry and directly using de-mineralized water & other utilities (cooling tower, ETP, etc.) sourced from end user industry (Without Captive Power Plant using fossil fuel)
766.	Manufacturing of products from jute (without dyeing/ without boiler)
767.	Digital Printing on flex/vinyl, PVC etc. (less than 5 machines)

By order and in the name of the Governor of Madhya Padesh,
R.K. KARTIKAYE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025